संसदीय समितियों की परिपाटी: राज्य सभा की नियम समिति की सिफारिशें

राज्य सभा सचिवालय
नई दिल्ली
जुलाई, 2010

संसदीय समितियों की परिपाटी: राज्य सभा की नियम समिति की सिफारिशें

राज्य सभा सचिवालय
नई दिल्ली
जुलाई, 2010

संसदीय समितियों की परिपाटीः
राज्य सभा की नियम
समिति की सिफारिशें

राज्य सभा सचिवालय
नई दिल्ली
जुलाई, 2010

© *राज्य सभा सचिवालय, भारतीय संसद, नई दिल्ली*

बेबसाइटः : *http://parliamentofindia.nic.in*
http://rajyasabha.nic.in

मूल्यः 50.00 रुपये

महासचिव द्वारा प्रकाशित एवं वीरेन्द्रा प्रिंटर्स, करोल बाग, नई दिल्ली–110005 द्वारा मुद्रित

आमुख

16 मई, 1952 को प्रक्रिया विषयक नियमों के लागू होने से लेकर अब तक नियमों में अनेक संशोधन किए जा चुके हैं। इस बीच राज्य सभा द्वारा राज्य सभा और इसकी समितियों में प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं के बारे में अनेक नए नियमों को भी अपनाया गया है। राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन विषयक नियमों में हुए सभी संशोधनों को एक जगह संकलित करने की आवश्यकता काफी लम्बे समय से महसूस की जा रही है। किसी विशिष्ट नियम की उत्पत्ति और उसमें किए गए उत्तरवर्ती संशोधनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, विभिन्न स्रोतों का संदर्भ लेना पड़ता था जिससे कि कार्य कठिन और जटिल हो जाता है।

अतः, इस संग्रह में राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य-संचालन विषयक नियमों में हुए सभी प्रमुख संशोधनों/परिवर्धनों को एक स्थान पर संकलित करने का प्रयास किया गया है। समय–समय पर नियम समिति द्वारा की गई सिफारिशों को अध्यायों और उप–अध्यायों में समूहबद्ध किया गया है। जहाँ तक संभव है वर्ष 1952 से लेकर अब तक नियमों में किए गए संशोधनों का उल्लेख कालक्रम के अनुसार किया गया है, मूल नियमों में किए गए संशोधनों को उजागर करने का प्रयास भी किया गया है।

आशा है कि यह संग्रह पाठक को नियमों और समय–समय पर उनमें किए गए परिवर्तनों/संशोधनों को भली–भाँति समझने में सक्षम बनाएगा।

नई दिल्ली
जुलाई, 2010

विवेक कुमार अग्निहोत्री,
महासचिव

प्रस्तावना

संविधान के अनुच्छेद 118 का खंड (1) यह उपबन्ध करता है कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य–संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। अनुच्छेद 118 का खंड (2) यह उपबंध भी करता है कि जब तक खंड (1) के अधीन नियम नहीं बनाए जाते हैं तब तक इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत डोमिनियन के विधान–मंडल के संबंध में जो प्रक्रिया के नियम और स्थायी आदेश प्रवृत्त थे वे ऐसे उपांतरणों और अनुकूलनों के अधीन रहते हुए संसद के संबंध में प्रभावी होंगे जिन्हें, यथास्थिति, राज्य सभा का सभापति या लोक सभा का अध्यक्ष उनमें करे।

जब 13 मई, 1952 को पहली बार राज्य सभा का सत्र आयोजित किया गया था तो इसके अपने प्रक्रिया विषयक कोई नियम नहीं थे। राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य-संचालन को नियंत्रित करने के उद्देश्य से संविधान के लागू होने से ठीक पहले प्रवृत्त प्रक्रिया और कार्य–संचालन संबंधी संविधान सभा (विधायी) नियमों को संविधान के अनुच्छेद 118 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सभा के सभापति द्वारा उपान्तरित किया गया और स्वीकार किया गया और उन्हें भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 16 मई, 1952 में प्रकाशित किया गया। 22 मई, 1952 को नियम समिति का पहली बार गठन किया गया था। इसमें चौदह सदस्य थे। यथा उपांतरित और स्वीकृत नियमों के संशोधनों हेतु नियम समिति द्वारा सुझावों को प्राप्त किया गया और उन पर विचार किया गया।

समिति ने 10 जुलाई, 1952 को सभापति के समक्ष अपना पहला प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। सभापति ने संशोधनों को अनुमोदित किया जिन्हें दिनांक 11 जुलाई, 1952 के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। संशोधन प्रश्नों से संबंधित थे और उनमें आधे घंटे की चर्चा का उपबन्ध किया गया था। 2 अगस्त, 1952 को सभापति के समक्ष समिति का दूसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। कार्य मंत्रणा समिति का उपबन्ध करने वाले समिति के उन संशोधनों को सभापति द्वारा अनुमोदित किया गया और उन्हें दिनांक 4 अगस्त, 1952 के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। 14 अगस्त, 1952 को सभापति के समक्ष समिति का तीसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। उप-सभापति के चुनाव और विधेयकों से संबंधित संशोधनों को दिनांक 12 सितम्बर, 1952 के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। 24 दिसम्बर, 1952 को सभापति के समक्ष समिति का चौथा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। संशोधन, विधेयक पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन और धन–विधेयक पर चर्चा से संबंधित थे। इस प्रकार, जैसाकि ऊपर उल्लिखित है, सभापति द्वारा यथा उपांतरित और स्वीकृत पुराने नियम उस समय तक राज्य सभा की प्रक्रिया और

कार्य-संचालन को नियंत्रित करते रहे जब तक उन्हें वर्ष 1964 में नए नियमों से प्रतिस्थापित नहीं कर दिया गया।

7 सितम्बर, 1962 को श्रीमती वॉयलेट आल्वा ने संविधान के अनुच्छेद 118 के खंड(1) के अंतर्गत प्रक्रिया के प्रारूप नियमों की सिफारिश करने हेतु राज्य सभा की समिति के गठन के संबंध में एक संकल्प प्रस्तुत किया। जैसाकि संकल्प में उल्लिखित था, समिति में पन्द्रह सदस्य थे। संकल्प को उसी दिन स्वीकार कर लिया गया। समिति का प्रतिवेदन 29 नवम्बर, 1963 को सभा में प्रस्तुत किया गया।

27 मई, 1964 को, समिति के सदस्य श्री मुल्का गोविंद रेड्डी ने प्रतिवेदन पर विचार करने हेतु और नियमों को संविधान के अनुच्छेद 118(1) के अंतर्गत सभा के प्रक्रिया और कार्य-संचालन विषयक नियमों के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए दो प्रस्ताव प्रस्तुत किए। प्रारूप नियमों को 2 जून, 1964 को स्वीकार किया गया। नियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग।, खंड ।, दिनांक 1 जुलाई, 1964 में प्रकाशित किया गया। सभापति ने 1 जुलाई, 1964 को नियमों के लागू होने की तिथि के रूप में निर्धारित किया।

अन्य बातों के अलावा नए नियमों में पहली बार ध्यानाकर्षण और अल्पकालिक चर्चा हेतु प्रक्रिया शामिल की गई थी। अधीनस्थ विधान संबंधी समिति की अवधारणा भी पहली बार प्रस्तुत की गई और याचिका समिति के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया गया। इस प्रकार, राज्य सभा में पहली बार प्रक्रिया और कार्यसंचालन विषयक इसके स्वयं के नियम लागू किए गए जिनकी सिफारिश 1 जुलाई, 1964 को संविधान के अनुच्छेद 118 के खंड (1) के अनुसरण में सभा की समिति द्वारा की गई थी।

इस प्रकार, राज्य सभा की नियम समिति ने 1 जुलाई, 1964 से नियमों के कार्यकरण के पर्यवेक्षण का कार्य औपचारिक रूप से अपने हाथ में लिया, जब राज्य सभा के पास स्वयं अपने नियम थे, तब से लेकर अब तक, जब कभी भी सभा या इसकी समितियों की किसी विशिष्ट प्रक्रिया के लिए उपबन्ध करने हेतु किसी विशिष्ट नियम को संशोधित करने या उसके लिए कुछ और नियमों को जोड़ने की आवश्यकता महसूस की गई, तो समिति ने उस मुद्दे पर चर्चा की और विचार किए जाने और स्वीकार किए जाने के लिए अपने प्रतिवेदनों के माध्यम से सभा के समक्ष अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। समिति द्वारा अपनी भूमिका को नियमों के कार्यकरण के पर्यवेक्षण तक ही सीमित नहीं रखा गया बल्कि अनेक अवसरों पर ऐसे मुद्दों पर विचार–विमर्श किया जिनका संबंध नियमों के संशोधनों की तुलना में प्रक्रिया और कार्य-प्रणाली से अधिक था। इस संग्रह के आगामी अध्यायों में नियमों में अब तक किए गए महत्त्वपूर्ण संशोधनों/परिवर्धनों की जानकारी का उल्लेख किया गया है। यदि किसी विशिष्ट नियम/नियमों से संबंधित प्रक्रिया का कोई उल्लेख नहीं है तो यह मान लिया जाना चाहिए कि संबंधित नियम/नियमों में सभी व्यावहारिक उद्देश्यों से 1952 से लेकर अब तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

विषय–सूची

		पृष्ठ सं.
अध्याय 1	**संक्षिप्त नाम और परिभाषाएं**	1
अध्याय 2	**उपसभापति का निर्वाचन तथा उपसभाध्यक्ष तालिका**	
2.1	उपसभापति का निर्वाचन	2
2.2	उपसभाध्यक्ष तालिका	2–3
अध्याय 3	**राज्य सभा की बैठकें**	4
अध्याय 4	**राष्ट्रपति का अभिभाषण**	5
अध्याय 5	**कार्य का विन्यास**	
5.1	गैर–सरकारी सदस्यों के कार्य हेतु समय का आबंटन	6–7
5.2	गैर–सरकारी सदस्यों के संकल्प की प्रक्रिया	7–8
5.3	गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयक की प्रक्रिया	8
5.4	विधेयकों की सापेक्ष पूर्ववर्तिता	8–10
5.5	दिवस के अंत में शेष कार्य	10–11
5.6	गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयक या संकल्प पर स्थगित वाद–विवाद का पुनरारम्भ	11
5.7	कार्य मंत्रणा समिति	11–13
अध्याय 6	**प्रश्न**	
6.1	प्रश्नों के लिए समय	14
6.2	तारांकित प्रश्नों की संख्या की सीमा	15
6.3	प्रश्नों की ग्राह्यता की शर्तें	16–17
6.4	सूचना की अवधि	17–18

		पृष्ठ सं.
6.5	तारांकित प्रश्न जिनका मौखिक उत्तर न दिया गया हो	18
6.6	सभापति मौखिक उत्तर दिए जाने के लिए किसी प्रश्न की ग्राह्यता का निर्णय करेगा	19
6.7	प्रश्न पूछने की रीति/अनुपस्थित सदस्यों के प्रश्न	19—20
6.8	मौखिक और लिखित उत्तरों के लिए प्रश्नों की सीमा	20—21
6.9	प्रश्नों का बैलट कराया जाना	21—22
6.10	उत्तरों में सभा की कार्यवाही का उल्लेख नहीं किया जाएगा	22
6.11	आधे घंटे की चर्चा	22
अध्याय 7	**विधान**	
7.1	विधेयकों के संबंध में प्रवर समिति का प्रतिवेदन	23
7.2	विधेयकों के संबंध में प्रवर समिति के प्रतिवेदन पर विसम्मति—टिप्पण	23—24
7.3	संशोधनों की ग्राह्यता की शर्तें	24—25
7.4	विधेयकों के संबंध में वित्तीय ज्ञापन	25
7.5	प्रवर समिति को विधेयक का सौंपा जाना	25
7.6	अध्यादेशों के संबंध में विवरण	25—26
7.7	विधेयक का वापस लिया जाना	26
7.8	विधेयक का विधेयक की पंजी से हटाया जाना	26
अध्याय 8	**संकल्प**	
8.1	संकल्प उपस्थित करने के आशय की सूचना	27
8.2	संकल्प का रूप	28

		पृष्ठ सं.
अध्याय 9	**सभा की समितियाँ**	
9.1	पृष्ठभूमि	29
9.2	कार्य मंत्रणा समिति	29
9.3	याचिका समिति	29–30
9.4	अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	30–32
9.5	सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	32
9.6	सभा–पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति	32
9.7	आवास समिति	33
9.8	सामान्य प्रयोजन समिति	33
9.9	आचार समिति	33
9.10	नियम समिति	33–35
9.11	विशेषाधिकार समिति	35–36
अध्याय 10	**विभाग–संबंधित संसदीय स्थायी समितियां**	
10.1	पृष्ठभूमि	37
10.2	राज्य सभा में प्रारंभ	37–38
10.3	और आगे विकास	38–39
10.4	विभाग–संबंधित स्थायी समितियों की पुनर्संरचना	39–40
अध्याय 11	**सदस्य की गिरफ्तारी, निरोध आदि और रिहाई के संबंध में सभापति को सूचना**	41
अध्याय 12	**लोक महत्त्व के विषयों पर ध्यान दिलाना**	
12.1	अल्पकालिक चर्चा	42
12.2	ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	42–43
12.3	विशेष उल्लेख	43

पृष्ठ सं.

अध्याय 13 **लोकहित के विषयों पर प्रस्ताव**

13.1 प्रस्तावों की ग्राह्यता 44–45

13.2 पत्रों के लिए प्रस्ताव 45–46

अध्याय 14 **स्थानों को त्यागा जाना और अनुपस्थिति की अनुमति**

14.1 स्थानों को त्यागा जाना 47–48

14.2 अनुपस्थिति की अनुमति 49

अध्याय 15 **प्रक्रिया के सामान्य नियम**

15.1 सदस्यों के विरुद्ध आरोप 50

15.2 वैयक्तिक स्पष्टीकरण 50–51

15.3 विभाजन 51

15.4 नियमों का निलम्बन 51–52

15.5 राज्य सभा का सत्रावसान होने पर लम्बित सूचनाओं का व्यपगत होना 52–53

अध्याय 16 **नियमों के संशोधन से असंबद्ध सिफारिशें/समुक्तियां** 54–56

परिशिष्ट

I संविधान के अनुच्छेद 118(2) के खंड (2) के तहत नियमों में आशोधन/संशोधनों का सुझाव देने हेतु गठित समिति 59

II संविधान के अनुच्छेद 118 के खंड (1) के तहत प्रक्रिया के प्रारूप नियमों की सिफारिश करने के लिए गठित समिति 60

संदर्भ 61

अध्याय –1

संक्षिप्त नाम और परिभाषाएं

(i) जब 16 मई, 1952 को नियम अधिसूचित किए गए थे, तब नियम 2 के उप–नियम (1) में 'सभाकक्ष' (लॉबी), ''राज्य सभा की प्रसीमा' और 'पटल' पदों को परिभाषित नहीं किया गया था। राज्य सभा के लिए प्रक्रिया विषयक नियमों के मसौदे की सिफारिश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 118(1) के अधीन गठित समिति ने नियम 2 के उप–नियम (1) में इन तीन पदों को समाविष्ट करने की सिफारिश की और इन्हें निम्नानुसार परिभाषित किया:–

''सभाकक्ष'' (लॉबी) का तात्पर्य उस बन्द गलियारे से है जो सभा भवन से बिल्कुल सन्निकट है और जो सभा भवन के साथ ही समाप्त होता है,

''राज्य सभा की प्रसीमा'' का तात्पर्य सभा भवन, सभा कक्षों, दीर्घाओं और उनको मिलाकर ऐसे अन्य स्थानों से है, जिनका सभापति समय–समय पर उल्लेख करे,

''पटल'' का तात्पर्य राज्य सभा के पटल से है।

नियम 2 के उप–नियम (1) में संशोधन 1 जुलाई, 1964 को अधिसूचित किए गए थे।

(ii) सभा ने 24 दिसम्बर, 1981 को नियम समिति के दूसरे और तीसरे प्रतिवेदनों पर विचार करते हुए, स्वयं यह सिफारिश की थी कि नियम 2 के उप–नियम(1) में नियमानुसार ''राज्य सभा का नेता'' पद और इसकी परिभाषा को समाविष्ट किया जाए :–

"राज्य सभा का नेता'' का तात्पर्य प्रधान मंत्री से है यदि वह सभा का सदस्य हो या उस मंत्री से है जो सभा का सदस्य हो और सभा के नेता के रूप में कार्य करने के लिए प्रधान मंत्री द्वारा नाम–निर्देशित किया गया हो।

नियम 2 के उप–नियम (1) में संशोधन 15 जनवरी, 1982 को अधिसूचित किए गए थे।

अध्याय – 2

उपसभापति का निर्वाचन तथा उपसभाध्यक्ष तालिका

2.1 **उपसभापति का निर्वाचन :** (i) 16 मई, 1952 को नियमों के आरंभ के समय नियम 7 (उस समय नियम 6) के उप–नियम (2) का परंतुक निम्नानुसार पठित है:–

6 (1) *** *** ***

(2) *** *** ***

परन्तु कोई सदस्य स्वयं अपना नाम प्रस्तावित या स्वयं अपना नाम प्रस्तावित करने वाले किसी प्रस्ताव को अनुमोदित, या एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तावित या अनुमोदित नहीं करेगा।

नियमों में परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 118(2) के अधीन गठित समिति ने यह सिफारिश की कि नियम 7 के उप–नियम (2) के परंतुक में **''स्वयं अपना नाम प्रस्तावित या स्वयं अपना नाम प्रस्तावित करने वाले किसी प्रस्ताव को अनुमोदित, या'' शब्दों का लोप कर दिया जाए।** समिति द्वारा संस्तुत संशोधन को सभापति द्वारा राज्य सभा की अधिसूचना सं. सी. एस./3/52–एल. दिनांक 12 सितम्बर, 1952 द्वारा अनुमोदित किया गया।

(ii) 1981 तक, नियम 7 के उप–नियम (3) में यह उपबंध किया गया था कि कार्यावलि में जिस सदस्य के नाम में कोई प्रस्ताव हो, वह पुकारे जाने पर, प्रस्ताव उपस्थित कर सकेगा या प्रस्ताव को वापस ले सकेगा। नियम समिति ने 2 दिसम्बर, 1981 को सभा में प्रस्तुत और 24 दिसम्बर, 1981 को स्वीकृत अपने तीसरे प्रतिवेदन में यह कहा कि 'प्रस्ताव को वापस ले सकेगा' अभिव्यक्ति अनुचित प्रतीत होती है, क्योंकि जब तक प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया जाता है, इसे वापस लिए जाने का प्रश्न नहीं उठता है, तदनुसार, समिति ने शब्दों ''प्रस्ताव को वापस ले सकेगा'' के स्थान पर शब्दों **''प्रस्ताव उपस्थित नहीं कर सकेगा''** को **प्रतिस्थापित** करते हुए नियम 7 के उप–नियम(3) में संशोधन की सिफारिश की।

2.2 **उपसभाध्यक्ष तालिका :** उपसभाध्यक्षों की पहली तालिका राज्य सभा के सभापति द्वारा 16 मई, 1952 को नाम–निर्देशित की गई थी। इसमें चार

सदस्य थे। 1981 के अंत तक उपसभाध्यक्षों की तालिका में चार सदस्य होते थे। नियम समिति ने 2 दिसम्बर, 1981 को प्रस्तुत और 24 दिसम्बर, 1981 को स्वीकृत अपने तीसरे प्रतिवेदन में यह सिफारिश की कि तालिका में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर छः कर दी जानी चाहिए। समिति ने कहा कि चार उपसभाध्यक्षों की तालिका की वर्तमान संख्या पर्याप्त नहीं थी क्योंकि कभी–कभी जब सभा की बैठकें अधिक समय तक होती थीं तब अध्यक्षता करने के लिए कोई भी उपसभाध्यक्ष उपलब्ध नहीं होता था। तदनुसार, समिति ने नियम 8 के उप–नियम (1) में संशोधन की सिफारिश की जिसके द्वारा उपसभाध्यक्षों की तालिका में सदस्यों की संख्या चार से बढ़ाकर छः कर दी गई।

अध्याय – 3

राज्य सभा की बैठकें

पूर्व नियम 10 में यह उपबंध था कि राज्य सभा की बैठक तभी विधिवत् गठित होगी जबकि, सभापति या ऐसा अन्य सदस्य उसका सभापतित्व करे जो संविधान अथवा इन नियमों के अधीन राज्य सभा की बैठक का सभापतित्व करने के लिए सक्षम हो। नियम समिति ने 2 दिसम्बर, 1981 को सभा में प्रस्तुत और 24 दिसम्बर, 1981 को स्वीकृत अपने तीसरे प्रतिवेदन में कहा कि इस अभिव्यक्ति से एक भ्रामक धारणा उत्पन्न हुई कि सभापति भी किसी अन्य सदस्य की तरह राज्य सभा का सदस्य है। तदनुसार, समिति ने शब्द ***'अन्य'*** के स्थान पर शब्द ***'कोई' प्रतिस्थापित*** करते हुए नियम 10 में संशोधन की सिफारिश की।

अध्याय – 4

राष्ट्रपति का अभिभाषण

इस अध्याय के अन्तर्गत नियमों (नियम 22) में एक उपबंध था जिसमें यह कहा गया था कि जब राष्ट्रपति राज्य सभा या दोनों सभाओं का सत्रावसान करते हैं तब वह, यथास्थिति, राज्य सभा या दोनों सदनों को संबोधित कर सकते/सकती हैं। नियम समिति ने सभा में 2 दिसम्बर, 1981 को प्रस्तुत और 24 दिसम्बर, 1981 को स्वीकृत अपने तीसरे प्रतिवेदन में यह कहा कि भारत के संविधान, जैसा यह 1950 में तैयार किया गया था, में सत्रावसान के लिए राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों के लिए अभिभाषण का उपबंध किया गया था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951 द्वारा उक्त संवैधानिक उपबंध का लोप कर दिया गया, समिति ने यह सिफारिश की कि नियम 22 का ***लोप*** कर दिया जाए।

तदनुसार राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन विषयक नियमों से नियम 22 का लोप कर दिया गया।

अध्याय– 5

कार्य का विन्यास

5.1 गैर–सरकारी सदस्यों के कार्य हेतु समय का आबंटन :

(i) राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य-संचालन विषयक नियमों का नियम 24 गैर–सरकारी सदस्यों के कार्य हेतु समय के आबंटन से संबंधित है। मूल नियम 24 के अनुसार, सभापति राज्य सभा के कार्य की दशा पर विचार करने के पश्चात गैर–सरकारी सदस्यों के कार्य संव्यवहार हेतु इतने दिनों का आबंटन कर सकेगा जो संभव हो और ऐसे कार्य के विभिन्न वर्गों के निपटान हेतु भिन्न–भिन्न दिवसों का आबंटन कर सकेगा और किसी कार्य के वर्ग विशेष हेतु इस प्रकार आबंटित दिनों की उस वर्ग के कार्य को पूर्ववर्तिता दी जाएगी। तथापि, संविधान के अनुच्छेद 118(1) के अधीन प्रक्रिया संबंधी नियम का प्रारूप बनाने वाली समिति ने नियमों में निम्नानुसार संशोधन किए:–

24. गैर–सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए समय का नियतन जब तक सभापति अन्यथा निदेश न दे, प्रत्येक शुक्रवार का समय गैर–सरकारी सदस्यों के कार्य के निष्पादन के लिए नियत किया जाएगा :

परन्तु सभापति ऐसे कार्य के भिन्न–भिन्न वर्गों के निबटारे के लिए भिन्न–भिन्न शुक्रवार नियत कर सकेगा और कार्य के किसी वर्ग विशेष के लिए इस प्रकार नियत शुक्रवार को उस वर्ग के कार्य को पूर्ववर्तिता प्राप्त होगी

परन्तु यह और भी कि सभापति राज्य सभा के नेता के परामर्श से गैर–सरकारी सदस्यों के कार्य के निष्पादन के लिए शुक्रवार के अतिरिक्त कोई और दिन नियत कर सकेगा।

(ii) 1979 से पूर्व, इस नियम में यह उपबंध नहीं किया गया था कि गैर–सरकारी सदस्यों के कार्य को निश्चित रूप से एक उपयुक्त समय पर निष्पादित किया जाना चाहिए। तथापि, व्यावहारिक रूप में शुक्रवार के दिन सामान्यतः प्रश्नों के समय, औपचारिक कार्य, ध्यानाकर्षण और मामलों के उल्लेख, यदि कोई है, के पश्चात् उस दिन हेतु नियत कार्यावलि में दर्ज गैर–सरकारी सदस्यों के कार्य को सभा के विचारार्थ उठाया जाता था।

एक अवसर पर यह देखा गया कि दिन की कार्यसूची में गैर–सरकारी सदस्य कार्य के अतिरिक्त सूचीबद्ध सभी कार्यों में इतना अधिक समय व्यतीत हुआ कि कार्य सूची में सम्मिलित गैर–सरकारी सदस्यों के मुख्य कार्य को उठाया ही नहीं जा सका। अतः यह सुझाव दिया गया कि प्रत्येक शुक्रवार के दिन मध्याह्न पश्चात होने वाली बैठक केवल गैर–सरकारी सदस्यों के कार्यों हेतु आरक्षित कर दी जाए ताकि उसे निश्चित रूप से नियत समय पर और कम से कम ढाई घंटे के लिए उठाया जा सके।

नियम समिति ने 22 मई, 1979 को प्रस्तुत और 24 दिसम्बर, 1981 को स्वीकृत अपने दूसरे प्रतिवेदन में यह सिफारिश की थी कि पूर्ववर्ती नियम 24 में शब्दों ***"प्रत्येक शुक्रवार का दिन गैर–सरकारी सदस्य कार्य –संव्यवहार हेतु आबंटित किया जाएगा" को शब्दों "गैर–सरकारी सदस्य कार्य–संव्यवहार हेतु शुक्रवार की बैठक में न्यूनतम ढाई घंटे का समय आबंटित किया जाएगा"*** से ***प्रतिस्थापित*** किया जाए। तदनुसार, नियम 24 में संशोधन किया गया।

(iii) इस तथ्य को महसूस करते हुए कि सत्र के दौरान किसी शुक्रवार के दिन पूर्ण अवकाश हो सकता है अथवा सभा में उस दिन बैठक निर्धारित नहीं की गई हो सकती है, समिति ने 2 दिसम्बर, 1981 को प्रस्तुत और 24 दिसम्बर, 1981 को स्वीकृत अपने तीसरे प्रतिवेदन में नियम 24 पर पुनः विचार किया। समिति का यह मत था कि यदि एक सप्ताह में शुक्रवार के दिन कोई बैठक नहीं की जाती है, तो उसी सप्ताह शुक्रवार के अतिरिक्त किसी अन्य दिन में ढाई घंटे का समय आबंटित किया जाना चाहिए ताकि गैर–सरकारी सदस्य कार्य को इस कारण से न त्याग दिया जाए कि शुक्रवार के दिन सभा की कोई बैठक नहीं थी। अतः समिति ने यह सिफारिश दी कि नियम 24 में निम्नलिखित परन्तुक को ***जोड़ा*** जाए :

"परन्तु यह और भी कि यदि किसी शुक्रवार को सभा की बैठक न हो, तो सभापति यह निदेश दे सकेगा कि गैर–सरकारी सदस्यों के कार्य के निष्पादन के लिए उसी सप्ताह में किसी अन्य दिन की बैठक में ढाई घंटे से अन्यून नियत किए जायें"

तदनुसार नियम 24 में और संशोधन किया गया।

5.2 गैर–सरकारी सदस्यों के संकल्प की प्रक्रिया : पूर्व में नियम 26 के अधीन यह उपबंध किया गया था कि गैर–सरकारी सदस्यों द्वारा दी गई संकल्पों की सूचनाओं की सापेक्ष पूर्ववर्तिता सभापति द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार आयोजित की जाने वाली लॉटरी द्वारा ऐसे दिन निर्धारित की जाएगी, जिसका कि सभापति निदेश दे, परन्तु जो उस दिन से कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व होगा जिसके संबंध में लॉटरी होगी। अध्याय 'संकल्प' के अधीन संकल्प की सूचना से संबंधित तदनुरूपी नियम 154 में उपबंध किया

गया था कि मंत्री के अतिरिक्त, कोई सदस्य, जो संकल्प उपस्थित करना चाहे, अपने इस आशय की सूचना पूरे पन्द्रह दिन पहले देगा और जिस संकल्प को उपस्थित करना चाहे, उसके पाठ सूचना सहित देगा।

नियम समिति ने 22 मई, 1979 को प्रस्तुत और 24 दिसम्बर, 1981 को स्वीकृत अपने दूसरे प्रतिवेदन में यह समुक्ति की थी कि 1965 से प्रचलित परिपाटी के अनुसार, जो सदस्य संकल्पों की सूचना देना चाहें, वे प्रथमतया केवल इसी आशय की सूचना देंगे। उन सदस्यों के नाम का, जिनकी ऐसी सूचनाएं निर्धारित समय के भीतर प्राप्त हो जाती हैं, बैलट कराया जाता है और गैर–सरकारी सदस्यों के संकल्पों हेतु आबंटित किसी दिवस विशेष के लिए, जिन सदस्यों को बैलट में पहले पांच स्थान प्राप्त हो जाते हैं, उनसे एक संकल्प की सूचना देने का अनुरोध किया जाता है जिसे बैलट के क्रमानुसार नियमों के अधीन स्वीकार्यता की शर्त पर कार्यावलि में सम्मिलित कर लिया जाता है। अतः, समिति ने महसूस किया कि नियम 26 (और नियम 154 को भी) में समुचित संशोधन किया जाए ताकि इसे प्रचलित परिपाटी के अनुरूप बनाया जा सके। तदनुसार, समिति ने सुझाव दिया कि पूर्ववर्ती नियम 26 को निम्नलिखित से ***प्रतिस्थापित*** किया जाए :–

> **''गैर–सरकारी सदस्यों द्वारा संकल्प उपस्थित करने के आशय की दी गई सूचनाओं की सापेक्ष पूर्ववर्तिता सभापति द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार लॉटरी द्वारा उस दिन निर्धारित की जाएगी जिसका कि सभापति निदेश दे''**

5.3 गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयक की प्रक्रिया : नियमों की स्थापना के समय से ''बैलट'' शब्द का प्रयोग गैर–सरकारी सदस्यों के कार्य हेतु सूचनाओं की सापेक्ष पूर्ववर्तिता का निर्धारण करने के लिए किया जा रहा था। नियम समिति ने 2 दिसम्बर, 1981 को प्रस्तुत अपने तीसरे प्रतिवेदन में समुक्ति की थी कि जहां भी नियमों में इसका उल्लेख हो इस शब्द को बेहतर शब्द से अर्थात् ***'लॉटरी द्वारा'*** से ***प्रतिस्थापित*** किया जाना चाहिए।

तदनुसार, नियम 25(1), 26, 28(2) और 154 में ''बैलट'' शब्द को ''लॉटरी द्वारा'' से ***प्रतिस्थापित*** करते हुए लघु संशोधन किए गए।

5-4 **विधेयकों की सापेक्ष पूर्ववर्तिता :** (i) पूर्व में उपबंधित नियम 25 का उप–नियम (3) निम्न प्रकार से है :–

> 25(3) उप–नियम (2) के एक ही खंड के अधीन आने वाले विधेयकों की सापेक्ष पूर्ववर्तिता बैलट द्वारा ऐसे समय तथा ऐसी रीति से जिसका कि सभापति निदेश दे, निर्धारित की जाएगी।

परन्तु यह कि उप–नियम (2) के खण्ड (ज) के अधीन आने वाले विधेयकों को उनके पुरःस्थापन की तारीखों के क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा और प्रत्येक समूह के भीतर सापेक्ष पूर्ववर्तिता को बैलट के माध्यम से निर्धारित किया जाएगा।

समिति ने 19 मार्च, 1986 को सभा के समक्ष प्रस्तुत किए गए और 14 मई, 1986 को स्वीकृत अपने चौथे प्रतिवेदन में यह समुक्ति की थी कि सभापति द्वारा दिए गए वर्तमान आदेशों के अनुसार पूर्ववर्तिता के क्रम में, अधिकतम 10 गैर-सरकारी सदस्य विधेयकों को जिनके संबंध में अगले प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हो गई है, किसी दिवस विशेष हेतु गैर–सरकारी सदस्यों के कार्यों की सूची में सम्मिलित किया जाता है।

समिति के अनुसार, इससे उन सदस्यों में व्यापक असंतुष्टि उत्पन्न होती थी जो बाद में विधेयक को पुरःस्थापित करते थे, और इसलिए उन्हें वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी कि उनके विधेयक सभा में पुरःस्थापित किए जा सकें। इस प्रक्रिया के कारण, अनेक बार सभा में विचार किए जाने हेतु विधेयक इतने विलंब से पुरःस्थापित हुए कि विधेयक पुरःस्थापित करने का मूल उद्देश्य ही विफल हो गया। विगत में ऐसे अवसर आए हैं कि कुछ विधेयकों के प्रायोजकों की इस दौरान सेवानिवृति के फलस्वरूप कतिपय विधेयकों पर चर्चा ही नहीं हो पाई।

समिति ने इस विषय पर अत्यंत सावधानीपूर्वक विचार किया और नियम 25 के उप–नियम (3) में संशोधन की सिफारिश की ताकि विधेयकों का बैलट किए जाने की बजाय विधेयक के भार-साधक व्यक्तियों के नामों का बैलट किया जाए और बैलट में प्रथम दस स्थानों को प्राप्त करने वाले सदस्यों को अपने विधेयकों का चयन करने को कहा जाए। यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि कोई भी सदस्य एक ही सत्र में एक से अधिक विधेयक को विचार हेतु पुरःस्थापित नहीं कर सकेगा।

तदनुसार, समिति ने प्रस्ताव दिया कि नियम 25 के उप–नियम (3) के मौजूदा परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक को ***प्रतिस्थापित*** किया जाए:

"परन्तु यह कि उप-नियम (2) के खंड (ज) के अधीन आने वाले विधेयकों की सापेक्ष पूर्ववर्तिता का निर्धारण करने के लिए भार-साधक सदस्यों के नाम लॉटरी द्वारा निकाले जाएंगे और लॉटरी में प्रथम दस स्थान प्राप्त करने वाले सदस्यों के विधेयकों को गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों को निबटाने के लिए नियत किसी दिवस की कार्यावलि में सम्मिलित किया जाएगा :

परन्तु यह और कि यदि किसी सदस्य के नाम में एक से अधिक विधेयक लंबित हों, तो वह अपने विधेयकों में से एक ही विधेयक का चयन करने के लिए पात्र होगा :

परन्तु यह और भी कि कोई भी सदस्य इसी सत्र में नियम (2) के खंड (ज) के

अधीन आने वाले एक से अधिक विधेयक के संबंध में कोई प्रस्ताव उपस्थित करने के लिए पात्र नहीं होगा।''

तदनुसार नियम 25(3) में संशोधन किया गया और इसे 1 जुलाई, 1986 से प्रभावी बनाया गया।

(ii) नियम 25 में उपरोक्त संशोधन के परिणामस्वरूप नियम 29 का उप-नियम(4), जिसमें अब तक कार्यावलि में दर्ज किए जाने हेतु विधेयकों की संख्या की सीमा का कोई उल्लेख नहीं था, को भी संशोधित किया गया और मौजूदा नियम को निम्नलिखित से ***प्रतिस्थापित*** किया गया :–

*29(4) जब तक सभापति अन्यथा निदेश न दे, गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों या संकल्पों की जैसी भी स्थिति हो निबटाने के लिए नियत किसी दिन की कार्यावलि में, **नियम 25 के उपनियम (2) के खंड (ज) के अधीन आने वाले दस विधेयकों** या पांच संकल्पों **[**नियम 27 के परन्तुक **या नियम 28 के उप-नियम (2) के अधीन** आने वाले **किसी विधेयक** या संकल्प **के अतिरिक्त]** से अधिक विधेयक या संकल्प नहीं रखे जाएंगे।

तदनुसार नियम 29(4) को संशोधित किया गया और 1 जुलाई, 1986 से इसे प्रभावी बनाया गया।

5-5 **दिवस के अंत में शेष कार्य :** नियम 27 में पूर्व में यह 'उपबंध था कि गैर–सरकारी सदस्यों का वह कार्य जो उस वर्ग के कार्य के लिए नियत किए गए दिन के लिए निर्धारित किया गया हो और उस दिन नहीं निपटाया गया हो, किसी परवर्ती दिन के लिए तब तक नहीं निर्धारित किया जाएगा जब तक उसे उस दिन के संबंध में किए गए बैलट में पूर्ववर्तिता प्राप्त न हो गई हो। सभा के सत्रावसान के कारण किसी सत्र में चर्चाधीन संकल्पों, प्रस्तावों और संशोधनों को व्यपगत होने से बचाने के लिए समिति ने अपने तीसरे प्रतिवेदन में सिफारिश की कि शब्दों **'**नहीं निपटाए गए'' के स्थान पर शब्द ^**''नहीं लिए गए''** ***प्रतिस्थापित*** किए जाएं। समिति ने यह भी सिफारिश की कि उक्त नियम के परन्तुक में शब्दों **''गैर–सरकारी सदस्यों का वह कार्य''** के पश्चात ^***'किसी सत्र या अगले सत्र में, यथास्थिति''*** को ***अंत:स्थापित*** किया जाए।

तथापि, तीसरे प्रतिवेदन पर विचार करते हुए सभा ने समिति की पश्चातवर्ती सिफारिश को अनुमोदित नहीं किया। इसलिए नियम 27 को केवल पूर्व में की गई सिफारिश की सीमा तक ही संशोधित किया गया।

संशोधित नियम 27, जो 15 जनवरी, 1982 को लागू हुआ था निम्नानुसार है:

---

*पूर्व नियमों में किए गए संशोधनों को मोटे अक्षरों में दर्शाया गया है।

'गैर–सरकारी सदस्यों का वह कार्य जो उस वर्ग के कार्य के लिए नियत किए गए दिन के लिए रखा गया हो और उस दिन ***न लिया गया हो*** किसी बाद के दिन के लिए तब तक नहीं रखा जाएगा जब तक उसे उस दिन के संबंध में निकाली गई लॉटरी में पूर्ववर्तिता प्राप्त न हो गई हो।'

***** ***** *****

5.6 गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयक या संकल्प पर स्थगित वाद–विवाद का पुनरारम्भ : 1952 में नियमों के लागू होने के समय नियम 28 के उप–नियम (2) में यह उपबंध था कि किसी ऐसे विधेयक, जिस पर ***अनिश्चित काल के लिए*** बहस स्थगित कर दी गई हो, के मामले में संबंधित सदस्य को स्थगित बहस को पुनः आरंभ करने की पूर्व सूचना देना आवश्यक है और इस सूचना पर बैलट (लॉटरी का निकाला जाना) की प्रक्रिया से भी गुजरना होगा। समिति ने अपने चौथे प्रतिवेदन में समुक्ति की कि इस प्रकार के विधेयक पर बैलट की प्रक्रिया को पूरा करना आवश्यक नहीं है, बल्कि इसे अन्य विधेयकों के मुकाबले पूर्ववर्तिता प्राप्त होनी चाहिए। तदनुसार, समिति ने सिफारिश की कि नियम 28 के उप–नियम (2) में शब्दों ''और ऐसी सूचना मिलने पर ऐसे किसी विधेयक या संकल्प की सापेक्ष पूर्ववर्तिता लॉटरी द्वारा निर्धारित की जाएगी'' के स्थान पर निम्नलिखित को ***प्रतिस्थापित*** **किया जाए :**

''और ऐसी सूचना मिलने पर किसी ऐसे विधेयक या संकल्प को, जैसी भी स्थिति हो, उस दिन के लिए रखे गए अन्य विधेयकों या संकल्पों से पूर्ववर्तिता प्राप्त होगी।''

तदनुसार नियम 28(2) को संशोधित किया गया और यह 1 जुलाई, 1986 से प्रभावी हुआ।

5.7 कार्य मंत्रणा समिति : (i) यह महत्वपूर्ण समितियों में से एक है जो सभा में किए जाने वाले सरकारी कार्यों तथा अन्य कार्यों से भली–भांति जुड़ी हुई है और यह सभा में कार्य-संचालन के लिए समय भी आवंटित करती है। 16 मई, 1952 को जब नियमों को पहली बार अधिसूचित किया गया, तब उनमें इस समिति का उपबंध नहीं किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 118(2) के अधीन नियमों में आशोधन सुझाने के लिए सभापति द्वारा गठित समिति ने कार्य मंत्रणा समिति हेतु नियमों के अंतर्गत उपबंध सम्मिलित किए जाने की सिफारिश की। समिति की सिफारिश सभापति द्वारा स्वीकृत की गई तथा कार्य मंत्रणा समिति से संबंधित नियम राज्य सभा की अधिसूचना संख्या सी.एस./3/52–एल, दिनांक 4 अगस्त, 1952 द्वारा अधिसूचित किए गए। मूल नियमों में उपसभापति के समिति का सदस्य बनाने का उपबंध नहीं था। संगत नियमों में यह उपबंध किया गया था कि समिति में राज्य सभा के सभापति, जो समिति के अध्यक्ष होंगे, सहित दस से अधिक सदस्य नहीं होंगे। नियम समिति ने 2 दिसम्बर, 1981 को सभा में प्रस्तुत किए गए और 24 दिसम्बर, 1981 को स्वीकृत किए गए अपने तीसरे

प्रतिवेदन में यह समुक्ति की कि परंपरा और प्रथा के अनुसार उपसभापति को कार्य मंत्रणा समिति की बैठकों में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। समिति ने सिफारिश की कि उपसभापति को कार्य मंत्रणा समिति का सदस्य होना चाहिए और इस उद्देश्य से समिति की सदस्यता को दस से बढ़ाकर ग्यारह कर दिया जाना चाहिए। तदनुसार, नियम 30(1) में संशोधन किया गया।

(ii) 1964 से पूर्व, समिति के कार्यों में, अन्य बातों के साथ–साथ, ऐसे सरकारी विधेयकों के प्रक्रम या प्रक्रमों पर चर्चा के लिए आवंटित किए जाने वाले समय की सिफारिश करना सम्मिलित था, जिन्हें सभा के सभापति सभा के नेता के परामर्श से समिति को भेजने का निदेश दें। संविधान के अनुच्छेद 118(1) के अधीन प्रक्रिया विषयक प्रारूप नियम बनाने के लिए समिति ने नियम 33(1) में शब्दों ''**सरकारी विधेयकों**'' के बाद शब्दों ***''तथा अन्य कार्य*** को जोड़ दिया। अपने तीसरे प्रतिवेदन में, समिति ने समुक्ति की कि गैर–सरकारी सदस्यों के कार्यों के लिए समय के आवंटन का कोई उल्लेख नहीं है। समिति ने महसूस किया कि कार्य मंत्रणा समिति को ऐसे कार्य के लिए समय आवंटित करने हेतु भी विशेष रूप से शक्ति प्रदान की जानी चाहिए। तदनुसार, समिति ने यह प्रस्ताव किया कि नियम 33 के उप–नियम (1) में उचित रीति से संशोधन किया जाए। संशोधित उप–नियम (1) में, अन्य बातों के साथ–साथ कार्य मंत्रणा समिति द्वारा उतने समय की सिफारिश किए जाने का प्रावधान सम्मिलित था, जितना गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों के प्रक्रम या प्रक्रमों की चर्चा के लिए आवंटित किया जाना चाहिए।

(iii) समिति ने नियम 30–36 में कुछ ऐसे अन्य संशोधनों की भी सिफारिश की जो प्रारूपण और मौखिक स्वरूप के थे, उदाहरण के लिए नियम 33 के उप–नियम (2) में शब्द ''**समय सारणी**'' के स्थान पर शब्द'' **समय का नियतन''** ***प्रतिस्थापित*** किए गए और नियम 33(2) तथा नियम 36 में शब्द ''**सभा के सभापति'' के स्थान पर** शब्द ***''सभापति'' प्रतिस्थापित*** किया गया।

(iv) समय के नियतन के आदेश के संबंध में प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन विषयक नियमों के नियम 35 में अन्य बातों के साथ–साथ प्रस्ताव को उपसभापति द्वारा अथवा उनकी अनुपस्थिति में समिति के किसी अन्य सदस्य द्वारा इस आशय से उपस्थित किए जाने का उपबंध है कि राज्य सभा यथास्थिति अमुक–अमुक विधेयक या विधेयकों, अथवा अन्य कार्यों के बारे में समिति द्वारा प्रस्तावित समय के नियतन से सहमत है, और यदि ऐसा प्रस्ताव राज्य

सभा द्वारा स्वीकार कर लिया जाए, तो वह इस प्रकार से प्रभावी होगा, जैसेः कि वह सभा का आदेश हो। नियम समिति ने अपने तीसरे प्रतिवेदन में यह समुक्ति की कि कार्य मंत्रणा समिति, चिर स्थापित प्रथा और परंपरा के अनुसार, कोई औपचारिक प्रतिवेदन स्वीकार नहीं करती है और न ही ऐसे प्रतिवेदन को सभा में औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। सभापीठ की ओर से केवल सरकारी कार्यों और अन्य कार्यों की विभिन्न मदों के लिए आवंटित समय की घोषणा की जाती है। समिति का विचार था कि सभा को समय के नियतन की सूचना से संबंधित नियम 34 में उचित रूप से संशोधन किया जाना चाहिए और इसके फलस्वरूप नियम 35 को **हटा** दिया जाए। तदनुसार, समिति ने मौजूदा नियम 34 के स्थान पर निम्नलिखित को ***प्रतिस्थापित*** किए जाने की सिफारिश कीः

34. राज्य सभा को समय के नियतन की सूचना :– विधेयक या विधेयकों के समूह अथवा अन्य कार्य के बारे में समिति द्वारा अनुशंसित समय का नियतन सभापति अथवा, उनकी अनुपस्थिति में उपसभापति द्वारा राज्य सभा को सूचित कर दिया जाएगा **और तत्पश्चात् यह इस प्रकार लागू होगा, जैसेकि यह सभा का आदेश हो** और संसदीय समाचार में अधिसूचित किया जाएगा।

तथापि, सभा ने नियम समिति के तीसरे प्रतिवेदन पर विचार किए जाने और इसे स्वीकार किए जाने के प्रस्तावों पर विचार करते समय, समिति द्वारा यथा-अनुशंसित नियम 34 में प्रस्तावित संशोधन तथा नियम 35 के विलोपन का समर्थन नहीं किया।

अध्याय – 6

प्रश्न

6.1 प्रश्नों के लिए समय : जब 13 मई, 1952 को राज्य सभा की पहली बैठक हुई थी तो सभा में 'प्रश्नों के समय' का उपबंध नहीं था। 16 मई, 1952 को अधिसूचित नियमों के अधीन प्रश्नों के लिए समय का उपबंध निम्न प्रकार से किया गया था–

नियम 29 (पुराना) : प्रश्नों के लिए समय

> ''सभापति यह निर्धारित करेगा कि एक सप्ताह में दो से अनधिक दिनों में उत्तर देने के लिए कौन–कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे और सभा की बैठक में प्रश्नों को पूछने और उनका उत्तर देने के लिए कितना समय उपलब्ध होगा।''

नियमों में संशोधनों/आशोधनों का सुझाव देने हेतु सभापति द्वारा गठित समिति ने 10 जुलाई, 1952 को हुई अपनी बैठक में सिफारिश की कि उक्त नियम में निम्न प्रकार से आशोधन किया जाएः–

> ''जब तक सभापति अन्यथा निदेश न दे, प्रत्येक सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को बैठकों के पहले घंटे का समय प्रश्नों के पूछने और उत्तर देने के लिए उपलब्ध होगा।
>
> परन्तु यह कि यदि किसी सप्ताह में राज्य सभा की बैठक इनमें से किसी भी दिन नहीं होती अपितु शुक्रवार को होती है तो शुक्रवार को पहले घंटे का समय प्रश्न पूछने और उनके उत्तर देने के लिए उपलब्ध होगा।''

समिति द्वारा इस प्रकार संशोधित और सभापति द्वारा अनुमोदित नियम को 11 जुलाई, 1952 को अधिसूचित किया गया।

संविधान के अनुच्छेद 118(1) के अधीन गठित प्रक्रिया संबंधी मसौदा नियमों की सिफारिश करने के लिए समिति ने पुराने नियम 29 को निम्न के साथ प्रतिस्थापित कियाः

नियम 38 (नया) : प्रश्नों के लिए समय

> **जब तक सभापति अन्यथा निदेश न दे, प्रत्येक बैठक का पहला घंटा प्रश्न पूछने और उनके उत्तर देने के लिए उपलब्ध होगा।**

संशोधित नियम को, समिति द्वारा संस्तुत रूप में, 1 जुलाई, 1964 से प्रभावी बनाया गया।

6.2 तारांकित प्रश्नों की संख्या की सीमा : इस संबंध में मूल नियम यह था कि मौखिक उत्तर के लिए किसी एक दिन की प्रश्नों की सूची में एक ही सदस्य का तारांक लगाकर विभेद किया गया एक से अधिक प्रश्न सम्मिलित नहीं किया जाएगा और किसी एक दिन में मौखिक उत्तर के लिए प्रश्नों की सूची में कुल मिलाकर तीन से अधिक प्रश्न नहीं रखे जाएंगे। 11 जुलाई, 1952 को नियम में और संशोधन किया गया जैसाकि नियमों में संशोधनों/आशोधनों की सिफारिशें करने वाली समिति द्वारा सुझाया गया और सभापति द्वारा अनुमोदित किया गया ताकि मौखिक उत्तर के लिए किसी एक दिन की प्रश्न-सूची में एक सदस्य के तारांक लगाकर विभेद किए गए तीन से अधिक प्रश्न न पूछे जाएं और तीन से अधिक प्रश्नों को लिखित उत्तरों की प्रश्न-सूची में डाल दिया जाए। समिति ने संबंधित नियम के उप-नियम (2) में यह भी उपबंध किया कि सूचना देने वाले सदस्य द्वारा यह दर्शाया जाएगा कि मौखिक उत्तर के लिए प्रश्नों को किस क्रम में रखा जाए और यदि ऐसा कोई भी क्रम नहीं दर्शाया जाता है तो प्रश्नों को मौखिक उत्तर हेतु प्रश्नों की सूची में उस क्रम में रखा जाएगा, जिस कालक्रमानुसार इनकी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

नियम समिति ने सभा के समक्ष 14 दिसंबर, 2009 को प्रस्तुत और 15 दिसम्बर, 2009 को अनुमोदित और अपने बारहवें प्रतिवेदन में संबंधित नियम (नियम 43) को निम्नलिखित से ***प्रतिस्थापित*** किया :

नियम 43: तारांकित प्रश्नों की संख्या की सीमा :

(1) मौखिक उत्तर के लिए किसी एक दिन की प्रश्न-सूची में एक ही सदस्य के तारांक लगाकर विभेद किए गए **एक** से अधिक प्रश्न नहीं रखे जाएंगे। एक से अधिक प्रश्न लिखित उत्तर के लिए प्रश्न-सूची में रख दिए जाएंगे।

(2) मौखिक उत्तर के लिए प्रश्नों की सूची में सम्मिलित प्रत्येक प्रश्न केवल एक ही सदस्य के नाम से, बैलट में उसकी स्थिति के आधार पर होगा।

(3) जब तक सभापति अन्यथा निदेश न दे तो जब किसी सदस्य ने एक ही दिन के लिए तारांक लगाकर विभेद की हुई प्रश्नों की एक से अधिक सूचनाएं दी हों तो मौखिक उत्तर के लिए प्रश्नों की सूची हेतु उसके प्रश्न को सदस्य द्वारा दर्शाए गए क्रम के आधार पर चयनित किया जाएगा और यदि कोई क्रम न दर्शाया जाए तो प्रश्न मौखिक उत्तर के लिए प्रश्न–सूची में उस क्रम में रख दिए जाएंगे जिस कालक्रमानुसार उनकी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

समिति ने उक्त संशोधन की सिफारिश करते हुए यह समुक्ति की कि यह और अधिक सदस्यों को किसी तारांकित प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछने में सहायक होगा।

नया नियम 43 दिनांक 22 फरवरी, 2010 से लागू किया गया।

6.3 **प्रश्नों की ग्राह्यता की शर्तें: (क)** न्याय-निर्णयाधीन मामलों के संबंध में, पूर्व नियम 47(2)(xix) में उपबंध किया गया था कि किसी प्रश्न में ऐसे मामलों के संबंध में सूचना नहीं मांगी जाएगी जोकि भारत के किसी भाग में किसी न्यायालय में न्याय-निर्णयाधीन है। नियम समिति ने 22 मई, 1979 को प्रस्तुत अपने दूसरे प्रतिवेदन में समुक्ति की थी कि कभी–कभी सदस्य ऐसे मामलों से संबंधित प्रश्न सभा-पटल पर रख देते हैं जो अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों, वैधानिक न्यायाधिकरणों इत्यादि में लंबित हैं, जिनके बारे में सूचना उपलब्ध करने पर ऐसे प्राधिकरणों द्वारा इन मामलों पर विचार करते समय कभी–कभार पूर्वाग्रह होने की संभावना है। अतः, समिति का मत यह था कि नियम 47(2)(xix) का विस्तार ऐसे अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों, न्यायाधिकरणों, जांच–न्यायालयों इत्यादि तक कर दिया जाए और उसने निम्नलिखित नए खण्ड (xxiii) को अंतःस्थापित करने की सिफारिश की–

(xxiii) सामान्यत, इसमें ऐसे मामलों के बारे में नहीं पूछा जाएगा जो किसी वैधानिक न्यायाधिकरण अथवा किसी प्रकार के न्यायिक अथवा अर्ध-न्यायिक कार्यों को करने वाले वैधानिक प्राधिकरण अथवा किसी विषय की जांच या अन्वेषण करने के लिए नियुक्त आयोग अथवा जांच न्यायालय के समक्ष लंबित हो, किंतु यदि न्यायाधिकरण अथवा प्राधिकरण अथवा आयोग अथवा जांच न्यायालय द्वारा मामले पर विचार के दौरान किसी प्रकार के पूर्वाग्रह की संभावना न हो तो प्रक्रिया अथवा विषय अथवा जांच की स्थिति से संबंधित विषयों का हवाला दिया जा सकता है।

तथापि, सभा ने 24 दिसम्बर, 1981 को समिति के दूसरे प्रतिवेदन पर विचार करते हुए समिति द्वारा संस्तुत नियम 47(2) में खण्ड (xxiii) के उक्त अन्तःस्थापन का समर्थन **नहीं** किया।

(ख) समिति ने 2 दिसम्बर, 1981 को प्रस्तुत और 24 दिसम्बर, 1981 को स्वीकृत अपने तीसरे प्रतिवेदन में नियम 47(2) के खंड (ix) और (x) में लघु संशोधनों की सिफारिश की थी। शब्द ***"सामान्यतः"*** को शब्द **"उसमें"** के पश्चात ***अन्तःस्थापित*** किया जाएगा ताकि खंड (ix) को निम्नलिखित रूप से संशोधित किया जा सके–

47(2)(ix) उसमें **सामान्यतः** ऐसे विषयों के बारे में जानकारी नहीं मांगी जाएगी जो किसी संसदीय समिति के समक्ष विचाराधीन हों।

समिति ने, उक्त खण्ड में संशोधन करते हुए यह समुक्ति की थी कि इस संशोधन के फलस्वरूप असाधारण मामलों में ऐसे विषय पर सभा-पटल पर प्रश्न रखा जा सकेगा।

खण्ड (x) में शब्द **''समिति''** को शब्दों **''एक संसदीय समिति''** से प्रतिस्थापित किया गया ताकि खण्ड (x) को निम्न प्रकार से संशोधित किया जा सके–

47(2)(**x**) उसमें ***किसी संसदीय समिति*** की ऐसी कार्यवाही के बारे में नहीं पूछा जाएगा जो उस समिति के प्रतिवेदन द्वारा राज्य सभा के सामने न रखी गई हो।

(ग) नियम 47(2) के खण्ड (vii) में 1952 से यह उपबंध किया गया था कि सामान्यतः एक प्रश्न की शब्द सीमा **150 शब्द से अधिक नहीं होनी चाहिए**। समिति ने 14 फरवरी, 1995 को उपस्थित किए गए अपने सातवें प्रतिवेदन में शब्दों ''सामान्यतः 150 शब्दों से अधिक'' को शब्दों ''50 शब्दों से अधिक'' के साथ ***प्रतिस्थापित*** करने की सिफारिश की थी। 30 मई, 1995 को समिति के प्रतिवेदन पर विचार करते हुए सभा ने एक प्रश्न में शब्दों की सीमा के रूप में **50 शब्दों** की बजाय **100 शब्दों पर सहमति दी**। संशोधित खण्ड (vii), जिस रूप में सभा द्वारा स्वीकृत किया गया, को निम्नलिखित रूप से पढ़ा जाए–

47(2)(vii) उसमें सामान्यतः **100** से अधिक **शब्द** नहीं होंगे।

(घ) 16 मई, 1952 को जब पहली बार नियमों को अधिसूचित किया गया था तो इस संबंध में कोई खण्ड नहीं था कि प्रश्न को स्पष्ट और सही रूप से अभिव्यक्त किया जाना चाहिए। समिति द्वारा खण्ड (i) के रूप में प्रश्नों की ग्राह्यता की शर्तों में सम्मिलित करने के लिए 1964 में प्रक्रिया के मसौदे संबंधी नियमों की सिफारिश करने के लिए यह खण्ड निम्नानुसार संस्तुत किया था–

''(i) इसे स्पष्ट और सटीक रूप में अभिव्यक्त किया जाएगा।''

समिति ने, 14 फरवरी, 1995 को उपस्थित अपने सातवें प्रतिवेदन में शब्दों ''स्पष्ट और सटीक रूप से अभिव्यक्त'' को शब्दों **''सटीक, विशिष्ट और केवल एक ही मुद्दे के लिए सीमित''** से ***प्रतिस्थापित*** किया जाए। सभा द्वारा 30 मई, 1995 को स्वीकृत नियम 47(2) के संशोधित खण्ड को निम्न प्रकार से पढ़ा जाए–

47(2) (i) वह सटीक, विशिष्ट और केवल एक मुद्दे के लिए सीमित होगा।

6.4 **सूचना की अवधि :** 16 मई, 1952 को अधिसूचित नियमों में प्रश्नों की सूचना हेतु पूरे 10 दिनों का उपबंध किया गया था। 30 मार्च, 1994 को, नियमों में प्रश्नों की सूचना की अवधि को, पूरे दस दिन से बढ़ाकर पूरे पन्द्रह दिन करते हुए, सभापति द्वारा दिए गए निदेशों में अन्तर्विष्ट करने के लिए नियम समिति ने 14 फरवरी, 1995 को उपस्थित अपने सातवें प्रतिवेदन में इसकी सिफारिश की थी। तदनुसार, नियम 39 में निम्न प्रकार से संशोधन किया गया :

''39'' जब तक सभापति अन्यथा निदेश न दे, प्रश्न के लिए कम से कम **पूरे 15 दिन** की सूचना दी जाएगी।''

संशोधित नियम 39, 15 जून, 1995 से प्रभावी हुआ।

6.5 तारांकित प्रश्न जिनका मौखिक उत्तर न दिया गया हो : 1981 तक तारांकित प्रश्न, जिनका मौखिक उत्तर न दिया गया हो, के संबंध में नियम 45 में निम्न प्रकार से उपबंध किया गया था–

45. यदि किसी दिन मौखिक उत्तर के लिए प्रश्न-सूची में रखे गए किसी प्रश्न को उस दिन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपलब्ध समय में उत्तर के लिए न पुकारा जाए तो उस मंत्री द्वारा, जिसे यह प्रश्न संबोधित किया गया है, प्रश्न का लिखित उत्तर तत्काल सभा-पटल पर रख दिया जाएगा और ऐसे प्रश्न का मौखिक उत्तर देना आवश्यक नहीं होगा और उसके संबंध में कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे।

समिति ने 2 दिसम्बर, 1981 को प्रस्तुत और 24 दिसम्बर, 1981 को स्वीकृत अपने तीसरे प्रतिवेदन में यह समुक्ति की कि इस संबंध में वर्तमान परिपाटी यह है कि यदि मौखिक उत्तर हेतु प्रश्नों की सूची में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाता है तो उस प्रश्न का लिखित उत्तर सभा-पटल पर रखा गया मान लिया जाएगा। अतः, समिति ने सिफारिश की कि नियम 45 में संशोधन किया जाए ताकि इसे प्रचलित परिपाटी के अनुरूप बनाया जा सके। समिति ने यह भी सिफारिश की कि यदि कोई सदस्य यह कहता है कि अपने नाम में रखे हुए प्रश्न को पूछने का उसका इरादा नहीं है तो उसे अपना प्रश्न वापस लेने का अवसर प्रदान करने हेतु नियम 45 में एक परंतुक को अन्तःस्थापित किया जाए।

अतः नियम 45 में निम्नानुसार संशोधन किया गया–

45. तारांकित प्रश्न जिनका मौखिक उत्तर न दिया गया हो।

यदि किसी दिन मौखिक उत्तर के लिए प्रश्न-सूची में रखे गए किसी प्रश्न को उस दिन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपलब्ध समय में उत्तर के लिए न पुकारा जाए तो ऐसे प्रश्न के लिखित उत्तर को **प्रश्नों का समय समाप्त होने पर अथवा मौखिक उत्तर के लिए प्रश्नों के निपटारे के तुरन्त पश्चात्, यथास्थिति संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रख दिया गया माना जाएगा :**

परन्तु यह कि यदि सभापति द्वारा पुकारे जाने पर कोई सदस्य यह कहता है कि अपने नाम में रखे हुए प्रश्न को पूछने का उसका इरादा नहीं है, तो उस प्रश्न को वापिस ले लिया जाना माना जाएगा और कोई लिखित उत्तर पटल पर रखा गया नहीं माना जाएगा ।

6.6. सभापति मौखिक उत्तर दिए जाने के लिए किसी प्रश्न की ग्राह्यता का निर्णय करेगाः

1981 से पहले, नियम 50 के परन्तुक को निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाता था–

नियम 50 xx xx xx

परन्तु यह कि सभापति, यदि वह ठीक समझे, मौखिक उत्तर के लिए प्रश्न की सूचना देने वाले सदस्य से मौखिक उत्तर चाहने के कारण को संक्षेप में बताने के लिए कह सकेगा और उन पर विचार करने के बाद यह निदेश दे सकेगा कि प्रश्न को लिखित उत्तर के लिए प्रश्नों की सूची में शामिल किया जाए।

समिति ने 2 दिसम्बर, 1981 को सभा में प्रस्तुत और 24 दिसम्बर, 1981 को स्वीकृत अपने तीसरे प्रतिवेदन में यह समुक्ति की कि परन्तुक बाध्यकारी प्रकृति का है और इसे पुनः लिखा जाना चाहिए ताकि मौखिक उत्तर के लिए किसी प्रश्न की सूचना और लिखित उत्तर देने के लिए किसी प्रश्न की सूचना पर विचार किए जाने के संबंध में कोई निदेश दिया जाना सभापति पर छोड़ दिया जाए। अतः, समिति ने नियम 50 के निम्नलिखित परन्तुक की, यथासंशोधित, सिफारिश की –

> ''परन्तु यह कि सभापति, यदि वह ठीक समझे, मौखिक उत्तर के लिए प्रश्न की सूचना देने वाले सदस्य से मौखिक उत्तर चाहने के कारणों को संक्षेप में बताने के लिए कह सकेगा और उन पर विचार करने के बाद ***अपना निदेश देगा।***''

नियम 50 को तद्नुसार संशोधित किया गया और 15 जनवरी, 1982 से प्रभावी बनाया गया।

6.7 प्रश्न पूछने की रीति/अनुपस्थित सदस्यों के प्रश्न : इन दो विषयों के संबंध में नियम 54 और नियम 55, 16 मई, 1952 से 15 दिसम्बर, 2009, जब सभा ने नियम समिति के बारहवें प्रतिवेदन को स्वीकार किया, तक वैसे ही बने रहे। समिति ने अपने उक्त प्रतिवेदन में, अन्य बातों के साथ–साथ, यह समुक्ति की कि प्रायः सभा को सदस्यों द्वारा प्रश्न के माध्यम से लोक महत्व के किसी मुद्दे पर सरकार से मांगी गई व्यापक सूचना नहीं मिल पाती है क्योंकि जिस सदस्य के नाम से प्रश्न सूचीबद्ध होता है, वह अनुपस्थित होता है अथवा प्रश्न नहीं पूछता है। समिति ने यह अनुभव किया कि इससे अन्य सदस्यों के साथ–साथ समस्त सभा अनुपूरक प्रश्न पूछने तथा सरकार से और अधिक सूचना प्राप्त करने से वंचित हो जाती है जोकि अन्यथा संबंधित सदस्य द्वारा प्रश्न पूछने पर मिल जाती। अतः, समिति ने नियम 54 के उप–नियम (3) में निम्नलिखित रूप में संशोधन की सिफारिश की–

54. प्रश्न पूछने की रीति

xx xx xx

#(3) यदि प्रश्न पुकारे जाने पर न पूछा जाये या जिस सदस्य के नाम में वह प्रश्न हो, वह अनुपस्थित हो, तो सभापति ***यह निदेश देगा कि उसका उत्तर दिया जाए।***

उपर्युक्त संशोधन के फलस्वरूप, समिति ने सिफारिश की कि अनुपस्थित सदस्यों के प्रश्नों से संबंधित नियम 55* को ***हटा दिया जाए।***

नियम 54(3) का संशोधन और नियम 55 का विलोप 22 फरवरी, 2010 से प्रभावी बनाया गया।

6.8 मौखिक और लिखित उत्तरों के लिए प्रश्नों की सीमा : 1995 से पहले, प्रासंगिक नियमों के अन्तर्गत मौखिक और लिखित उत्तरों के लिए प्रश्नों की सीमा तय किए जाने संबंधी कोई प्रावधान नहीं था। राज्य सभा के सभापति द्वारा 13 नवम्बर, 1962 को दिए गए निदेश के आधार पर मौखिक उत्तर के लिए प्रश्नों की सूची में तीस प्रश्नों से अनधिक प्रश्न शामिल किए गए। पुनः, सभापति द्वारा 1978 में राज्य सभा के 107वें सत्र से प्रभावी किए गए निदेशों में मौखिक उत्तर के लिए प्रश्नों की सूची में बीस प्रश्नों से अनधिक प्रश्न शामिल किए गए। तब से तारांकित प्रश्नों की मुद्रित सूची में बीस प्रश्न शामिल होने लगे जबकि अतारांकित प्रश्नों की सूची (लिखित उत्तर के लिए प्रश्न) में उतने प्रश्न शामिल होने लगे जितने किसी विशेष दिन के लिए प्राप्त होते थे और गृहीत होते थे।

समिति ने 14 फरवरी, 1995 को प्रस्तुत और 30 मई, 1995 को स्वीकृत अपने सातवें प्रतिवेदन में इस विषय पर विचार किया और यह समुक्ति की कि जिस दिन बड़ी संख्या में सूचनाएं प्राप्त होती हैं, उस दिन अतारांकित प्रश्नों की सूची बहुत बड़ी और जटिल हो जाती है। समिति ने अनुभव किया कि प्रश्नों की संख्या सीमित होनी चाहिए और यह सिफारिश की कि इसकी सीमा 150 की होनी चाहिए जिनमें मौखिक उत्तरों के लिए 20 प्रश्न, लिखित उत्तरों के लिए एक प्रश्न-सूची से अन्य प्रश्न-सूची में स्थगित प्रश्न और उन राज्यों, जो राष्ट्रपति शासन के अधीन हैं, से संबंधित पंद्रह प्रश्न शामिल हैं। तद्नुसार, समिति ने इस प्रयोजनार्थ निम्नलिखित रूप में एक नये नियम 51क की सिफारिश की–

#पूर्ववर्ती नियम 54(3): यदि प्रश्न पुकारे जाने पर न पूछा जाए या जिस सदस्य के नाम में वह प्रश्न हो, वह अनुपस्थित हो, तो सभापति किसी सदस्य की प्रार्थना पर, निदेश दे सकेगा कि उसका उत्तर दिया जाए।

***55. अनुपस्थित सदस्यों के प्रश्न :** जब मौखिक उत्तरों के लिए प्रश्नों की सूची के सब प्रश्न पुकारे जा चुके हों, तो सभापति यदि समय बचा हो, ऐसे किसी प्रश्न को फिर से पुकार सकेगा, जो उस सदस्य की अनुपस्थिति के कारण न पूछा गया हो जिसके नाम पर प्रश्न हो और किसी सदस्य को अन्य किसी सदस्य के नाम में रखे हुए प्रश्न को भी पूछने की अनुज्ञा दे सकेगा, यदि उस सदस्य ने उसे इस तरह का प्राधिकार दिया हो।

51क. मौखिक और लिखित उत्तरों के लिए प्रश्नों की संख्या की सीमा : किसी एक दिन के लिए मौखिक और लिखित उत्तर के लिए प्रश्नों की सूचियों में शामिल किये जाने वाले प्रश्नों की कुल संख्या 150 तक सीमित होगी, जिसमें मौखिक उत्तर के लिए 20 प्रश्न, लिखित उत्तर के लिए प्रश्नों की एक सूची से दूसरी सूची में स्थगित किए गए प्रश्न तथा राष्ट्रपति शासनाधीन राज्यों से संबंधित 15 प्रश्न शामिल हैं।

तथापि, सभा ने समिति के सातवें प्रतिवेदन पर विचार करते हुए समिति द्वारा अनुशंसित नये नियम 51क को अल्प संशोधन के साथ निम्नलिखित रूप में स्वीकार किया–

51क. मौखिक और लिखित उत्तरों के लिए प्रश्नों की संख्या की सीमा : किसी एक दिन के लिए मौखिक और लिखित उत्तर के लिए प्रश्नों की सूचियों में शामिल किए जाने वाले प्रश्नों की कुल संख्या 175 तक सीमित होगी, जिसमें मौखिक उत्तर के लिए 20 प्रश्न, लिखित उत्तर के लिए प्रश्नों की एक सूची से दूसरी सूची में स्थगित किए गए प्रश्न तथा राष्ट्रपति शासनाधीन राज्यों से संबंधित 15 प्रश्न शामिल हैं।

तथा नियम 51क 15 जून, 1995 से प्रभावी किया गया।

6.9. प्रश्नों का बैलट कराया जाना : समिति ने 14 फरवरी, 1995 को सभा में प्रस्तुत अपने सातवें प्रतिवेदन में मंत्रालय तथा सदस्यों के नामों का बैलट कराए जाने के मुद्दे पर विचार किया और अन्य बातों के साथ–साथ यह समुक्ति की कि कभी–कभी एक या दो मंत्रालय प्रश्न-सूची में तुरंत बाद ही आ जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप प्रश्न-काल मुख्यतया एक या दो मंत्रालयों तक ही केंद्रित रहता है। अन्य मंत्रालयों से संबंधित प्रश्नों के मौखिक उत्तर देना संभव नहीं होता। अतः समिति ने सुझाव दिया कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी विशेष प्रश्न-काल के लिए सभी मंत्रालय प्रश्न-सूची में शामिल हों सबसे पहले मंत्रालय-वार बैलट कराया जाना चाहिए और तत्पश्चात्, उन सदस्यों, जिन्होंने इन मंत्रालयों से संबंधित सूचना दी है, के नामों का उनकी ***पारस्परिक*** प्राथमिकता दर्शाते हुए बैलट कराया जाना चाहिए। समिति ने इस प्रयोजनार्थ एक नये नियम 40क के निम्नानुसार अंतःस्थापन की सिफारिश की :–

नियम 40क. [नया नियम] प्रश्नों का बैलट कराया जाना

नियम 40 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

40क. जिन मंत्रालयों हेतु किसी दिन के लिए मौखिक उत्तरों के लिए प्रश्नों की सूची में प्रश्न शामिल किए जाएंगे, उनकी पारस्परिक प्राथमिकता का निर्धारण करने के लिए मंत्रालय-वार बैलट कराया जाएगा, और तत्पश्चात्

ऐसे मंत्रालयों से संबंधित प्रश्नों की सूची में सदस्यों की पारस्परिक प्राथमिकता का निर्धारण करने के लिए बैलट कराया जाएगा।

परंतु यह कि किसी सदस्य को किसी दिन के लिए बैलट में केवल एक प्राथमिकता क्रम दिया जा सकेगा।

तथापि, 30 मई, 1995 को सातवें प्रतिवेदन पर विचार करते हुए सभा ने समिति द्वारा अनुशंसित नये नियम 40क के अंतःस्थापन का समर्थन **नहीं** किया।

6.10 उत्तरों में सभा की कार्यवाही का उल्लेख नहीं किया जाएगा : प्रक्रिया–नियमों के प्रारूप की सिफारिश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 118(1) के अधीन गठित समिति ने निम्नानुसार एक नये नियम का सुझाव दियाः

राज्य सभा में किसी प्रश्न के उत्तर में सभा के चालू सत्र के दौरान दिए गये किसी प्रश्न के उत्तर या सभा की कार्यवाही का उल्लेख नहीं किया जाएगा।

नया नियम (57) 1 जुलाई, 1964 से प्रभावी किया गया।

6.11 आधे घंटे की चर्चा : जब नियमों को पहली बार 16 मई, 1952 को अधिसूचित किया गया था तब किसी प्रश्न के दिए गए उत्तर से उत्पन्न चर्चा आरंभ करने का प्रावधान नहीं किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 118(2) के अधीन, सभापति को नियमों में संशोधनों का सुझाव देने के लिए गठित समिति ने पर्याप्त लोक महत्व के विषय, जो राज्य सभा में इस तथ्य को ध्यान में लिए बगैर कि उसका उत्तर मौखिक रूप से दिया गया है अथवा सभा–पटल पर रखा गया है किसी प्रश्न का विषय रहा है, पर आधे घंटे की चर्चा करने से संबंधित नियमों में एक उपबंध को शामिल करने की सिफारिश की। समिति ने *अन्य बातों के साथ–साथ* सप्ताह में दो दिन अर्थात बुधवार और शुक्रवार की सिफारिश की जिस दिन सभापति अपराह्न 5:00 बजे से अपराह्न 5.30 बजे तक ऐसी चर्चा का आवंटन करेंगे। समिति द्वारा यथा–अनुशंसित आधे घंटे की चर्चा से संबंधित नियम सभापति द्वारा अनुमोदित किए गए और 11 जुलाई, 1952 को अधिसूचित किए गए। संविधान के अनुच्छेद 118(1) के अधीन प्रक्रिया विषयक प्रारूप नियम तैयार करने के लिए गठित समिति ने संबंधित नियम में और संशोधन किया जिसके परिणामस्वरूप सभापति दो दिनों के बदले आधे घंटे की चर्चा करने के लिए कोई एक दिन आवंटित कर सकते हैं। समिति ने नियम 60 के उप–नियम (5) में इस आशय का उपबंध जोड़ने की भी सिफारिश की कि यदि वह सदस्य, जिसने सूचना दी है, अनुपस्थित है तो अन्य किसी भी सदस्य, जिसने सूचना का समर्थन किया है, को सभापति की अनुमति से चर्चा आरम्भ करने की अनुमति दी जा सकेगी। संशोधित नियमों को 1 जुलाई, 1994 से प्रभावी किए गए।

अध्याय – 7

विधान

7.1 विधेयकों के संबंध में प्रवर समिति का प्रतिवेदन : 16 मई, 1952 को नियमों के आरंभ के समय विधेयकों के संबंध में प्रवर समिति के प्रतिवेदन के प्रमाणीकरण से संबंधित कोई उपबंध नहीं था।

नियमों में परिवर्तन की सिफारिश करने वाली समिति ने 22 सितंबर 1952 को हुई अपनी बैठक में नियम 90 में उप-नियम (5) के अंतःस्थापन की निम्नानुसार सिफारिश कीः–

(5) प्रवर समिति के प्रतिवेदन पर समिति की ओर से समिति का अध्यक्ष हस्ताक्षर करेगाः

परन्तु उस स्थिति में, जब समिति का अध्यक्ष अनुपस्थित हो अथवा वह तत्काल न मिल सकता हो तो समिति की ओर से प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिए समिति एक अन्य सदस्य चुनेगी।

xx xx xx xx xx

संशोधित नियम राज्य सभा की अधिसूचना सं.सी.एस./3/53–एल. दिनांक 23 जनवरी, 1953 द्वारा अधिसूचित किया गया था।

7.2 विधेयकों के संबंध में प्रवर समिति के प्रतिवेदन पर विसम्मति–टिप्पण : राज्य सभा के सभापति ने प्रवर समिति के किसी प्रतिवेदन में सदस्यों द्वारा दर्ज कराए गए विसम्मति-टिप्पण के संबंध में 28 नवम्बर, 1994 को निदेश जारी किए थे। समिति ने 14 फरवरी, 1995 को प्रस्तुत और 30 मई, 1995 को स्वीकृत अपने सातवें प्रतिवेदन में यह सिफारिश की कि सभापति के निदेशों को राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन विषयक नियमों के संगत नियम में समाविष्ट किया जाए। तद्नुसार नियम 90 के तत्कालीन उप–नियम (6) और (7) के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किए गए*:

90(6) प्रवर समिति का कोई भी सदस्य विधेयक से संबंधित अथवा प्रतिवेदनों में दिए गए किसी विषय या विषयों पर विसम्मति-टिप्पण अभिलिखित कर सकेगा, ***तथापि समिति के प्रतिवेदन पर विसम्मति-टिप्पण संयत और शिष्ट भाषा में व्यक्त करना होगा और उसमें समिति में हुई चर्चा का उल्लेख नहीं होगा और न ही उसमें समिति या समिति के अध्यक्ष पर किसी तरह का लांछन लगाया जाएगा।***

*** पूर्व के उप–नियमों में किए गए संशोधनों को स्पष्ट तिरछे अक्षरों में दर्शाया गया है।**

90(7)(i) यदि समिति के अध्यक्ष की राय में किसी विसम्मति-टिप्पण में ऐसे शब्द, वाक्यांश या पद हों जो असंसदीय, असंबद्ध अथवा अन्यथा अनुपयुक्त हों, तो वह ऐसे शब्दों, वाक्यांशों अथवा पदों को विसम्मति-टिप्पण से निकाल दिए जाने का आदेश दे सकेगा;

(ii) ऊपर उप-पैरा (i) में किसी बात के होते हुए भी सभापति को समान परिस्थितियों में विसम्मति–टिप्पण से किन्हीं बातों को निकालने का आदेश देने अथवा विसम्मति–टिप्पण से किसी बात को निकालने संबंधी सभी निर्णयों की समीक्षा करने का अधिकार होगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा।

7.3 संशोधनों की ग्राह्यता की शर्तें: (i) प्रक्रिया विषयक प्रारूप नियम तैयार करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 118(1) के अन्तर्गत गठित समिति ने निम्नलिखित खंड को समाविष्ट करने की सिफारिश की–

''ऐसा कोई संशोधन उपस्थित नहीं किया जाएगा जिसका प्रभाव केवल नकारात्मक मत हो।''

नया खंड [खंड (ii), नियम 96] 1 जुलाई, 1964 से प्रभावी किया गया।

(ii) 1981 से पूर्व, नियम 96 के खंड (vii) में यह उपबंध था कि सभापति किसी ऐसे संशोधन को प्रस्तावित करने से इंकार कर सकेगा जो उसकी राय में तुच्छ या निरर्थक हो। समिति ने अपने तीसरे प्रतिवेदन में यह कहा कि इस उपबंध के लिए उपयुक्त स्थान खंड (iv) में ही है, जिसमें यह उपबंध किया गया है कि कोई संशोधन ऐसा नहीं होगा कि जिससे वह खंड जिसे संशोधित करने का उसमें प्रस्ताव हो, अबोध्य या व्याकरण के विपरीत हो जाए। समिति ने यह भी महसूस किया कि सभापति को विशिष्ट तौर पर इस बात का अधिकार दिया जाना चाहिए कि वह किसी ऐसे संशोधन को प्रस्तावित करने से इंकार कर सके जिससे इन नियमों का उल्लंघन होता हो। तद्नुसार समिति ने खंड (iv) में संशोधन करने, खंड (vii) को हटाने और नए खंड (ix) को जोड़ने की सिफारिश की। अब संशोधित खंड (iv) निम्नानुसार पठित है:–

"(iv) **कोई संशोधन तुच्छ या ऐसा नहीं होगा कि जिससे वह खंड जिसे संशोधित करने का उसमें प्रस्ताव हो, अबोध्य या व्याकरण के विपरीत हो जाए।''**

खंड (vii) के विलोपन के कारण खंड (viii) के रूप में पुनर्संख्यांकित समिति द्वारा प्रस्तावित नया खंड (ix) निम्नानुसार पठित है:–

"(viii) **सभापति किसी ऐसे संशोधन को प्रस्तावित करने से इन्कार कर सकेगा जो उसकी राय में इन नियमों का उल्लंघन करता हो।''**

समिति ने निम्नानुसार पठित खंड (vi) में प्रारूपण स्वरूप के एक संशोधन की भी सिफारिश की –

''सभापति वह स्थान निर्धारित करेगा जिसमें संशोधन उपस्थित किया जाएगा'', में शब्दों ''वह स्थान''* के स्थान पर शब्द **''वह क्रम''** ***प्रतिस्थापित*** किए गए।''

7.4 विधेयकों के संबंध में वित्तीय ज्ञापन : पूर्व में नियम 64 के उप–नियम (2) में ''लोक निधियों से व्यय'' के संबंध में उल्लेख किया गया था। समिति ने अपने तीसरे प्रतिवेदन में समुक्ति की चूंकि संविधान में अभिव्यक्ति ''लोक निधि'' का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए उसको हटा दिया जाना चाहिए जिससे वह नियम भी प्रसंगवश नियम 64 के उप–नियम 1, जिसमें ''व्यय'' शब्द का प्रयोग किन्हीं विशेषक शब्दों के बिना किया गया है, की भांति हो जाएगा। अतः समिति ने सिफारिश की कि नियम 64 के उप-नियम (2) में शब्दों ''लोक निधियों से व्यय अंतर्ग्रस्त करने वाले विधेयक'' के स्थान पर ''व्यय अंतर्ग्रस्त करने वाले विधेयक'' शब्द ***प्रतिस्थापित*** किए जाएं।

2 दिसंबर, 1981 को प्रस्तुत और 24 दिसंबर, 1981 को स्वीकृत समिति के तीसरे प्रतिवेदन द्वारा तद्नुसार नियम 64 का उप-नियम (2) संशोधित किया गया।

7.5 प्रवर समिति को विधेयक का सौंपा जाना : नियम 125 मूल रूप में यथा-अधिसूचित निम्नानुसार पठित था :–

''कोई भी सदस्य (यदि विधेयक को पहले ही **सभा की प्रवर समिति** अथवा सभाओं की संयुक्त समिति को न सौंप दिया गया हो, किंतु अन्यथा नहीं) संशोधन के रूप में यह प्रस्ताव कर सकेगा कि विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाए और यदि ऐसा प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए तो विधेयक प्रवर समिति को सौंप दिया जाएगा और तब राज्य सभा में आरम्भ होने वाले विधेयकों के संबंध में प्रवर समितियों से संबंधित नियम लागू होंगे।''

संविधान के अनुच्छेद 118(2) के अधीन सभापति को नियमों में संशोधनों का सुझाव देने के लिए गठित समिति ने यह महसूस किया कि सभा को किसी विधेयक के संबंध में इसकी अपनी प्रवर समिति होने का अधिकार होना चाहिए और इसलिए यह सिफारिश की कि **''सभा की प्रवर समिति को अथवा''** शब्दों को नियम 123 (अब नियम 125) से ***हटा दिया*** **जाए**। समिति की सिफारिश सभापति द्वारा अनुमोदित कर दी गई और संशोधित नियम राज्य सभा की अधिसूचना सं. सी.एस./3/52–एल. दिनांक 12 सितम्बर, 1952 द्वारा अधिसूचित किया गया।

7.6 अध्यादेशों के संबंध में विवरण : 1964 तक, उन परिस्थितियों, जिनके कारण अध्यादेश द्वारा विधान बनाने की आवश्यकता पड़ी, को स्पष्ट करने वाले विवरण को राज्य सभा के समक्ष रखे जाने तथा साथ ही अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने वाले विधेयक से संबंधित कोई उपबंध नियमों में नहीं था और इसी प्रकार उन परिस्थितियों, जिनके कारण राज्य सभा के समक्ष लम्बित विधेयक के संदर्भ में अध्यादेश द्वारा विधान बनाना आवश्यक हो गया था, को स्पष्ट करने वाले विवरण को प्रत्येक सत्र के प्रारम्भ

से पहले सभा-पटल पर रखे जाने से संबंधित कोई उपबंध भी नियमों में नहीं था। संविधान के अनुच्छेद 118(1) के अधीन प्रक्रिया विषयक प्रारूप नियमों की सिफारिश करने के लिए गठित समिति ने इस प्रयोजनार्थ निम्नलिखित नये नियमों का समावेश करने की सिफारिश कीः–

(1) जब कभी कोई विधेयक जो किसी अध्यादेश के स्थान में उसमें आशोधन सहित या उसके बिना राज्य सभा में पुरःस्थापित किया जाये तो राज्य सभा के सामने विधेयक के साथ उन परिस्थितियों को स्पष्ट करने वाला एक विवरण भी रखा जाएगा, जिनके कारण अध्यादेश द्वारा विधान बनाना आवश्यक हो गया था।

(2) जब कभी कोई ऐसा अध्यादेश प्रख्यापित किया जाए, जिसमें राज्य सभा के समक्ष विचाराधीन किसी विधेयक के उपबन्ध पूर्णतः या अंशतः या रूप भेद सहित समाविष्ट हों तो उन परिस्थितियों को स्पष्ट करने वाला एक विवरण, जिनके कारण अध्यादेश द्वारा विधान बनाना आवश्यक हो गया था, अध्यादेश को प्रख्यापित करने के बाद के सत्र के प्रारम्भ में पटल पर रख दिया जाएगा।

नया नियम (नियम 66) 1 जुलाई, 1964 से प्रभावी किया गया।

7.7 विधेयक का वापस लिया जाना : संविधान के अनुच्छेद 118(1) के अधीन प्रक्रिया विषयक प्रारूप नियमों की सिफारिश करने के लिए गठित समिति ने नियम 118 में निम्नलिखित परन्तुक को शामिल किए जाने का सुझाव दिया :

> ''परन्तु यह और भी कि जहां किसी विधेयक का आरम्भ लोक सभा में हुआ हो और वह राज्य सभा के विचाराधीन हो तो प्रभारी सदस्य राज्य सभा में एक प्रस्ताव उपस्थित करेगा जिसमें लोक सभा से यह सिफारिश की जाएगी कि लोक सभा राज्य सभा द्वारा विधेयक को वापस लेने की अनुमति दिए जाने से सहमत हो और जब यह प्रस्ताव राज्य सभा द्वारा स्वीकृत हो जाए और उस पर लोक सभा द्वारा सहमति प्रदान कर दी जाए तब प्रभारी सदस्य यह प्रस्ताव करेगा कि विधेयक को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए।''

7.8 विधेयक का विधेयक की पंजी से हटाया जाना : संविधान के अनुच्छेद 118(1) के अधीन प्रक्रिया विषयक प्रारूप नियमों को बनाने के लिए गठित समिति ने नियम 120 में निम्नलिखित उप-नियम को शामिल किए जाने की सिफारिश कीः

120(1)	xxx	xxx	xxx
	xxx	xxx	xxx

(2) राज्य सभा के समक्ष लंबित किसी विधेयक को भी राज्य सभा में लंबित विधेयकों की पंजी से हटा दिया जायेगा, यदि वह नियम 118 के अधीन वापस ले लिया जाये।

(3) राज्य सभा के समक्ष लंबित गैर–सरकारी सदस्य के किसी विधेयक को भी राज्य सभा में लंबित विधेयकों की पंजी से हटा दिया जाएगा, यदि प्रभारी सदस्य राज्य सभा का सदस्य न रहे।

संशोधित नियम 120 को 1 जुलाई, 1964 से प्रभावी बनाया गया।

अध्याय – 8

संकल्प

8.1 संकल्प उपस्थित करने के आशय की सूचना : नियम 154, जो किसी गैर–सरकारी सदस्य द्वारा सभा में संकल्प उपस्थित करने का उपबंध करता है और जिसे आरंभ में 16 मई, 1952 को अधिसूचित किया गया था, निम्नानुसार है –

> ''मंत्री के अतिरिक्त कोई सदस्य जो संकल्प उपस्थित करना चाहता हो, इस आशय की पूरे पन्द्रह दिन पूर्व सूचना देगा तथा उसके द्वारा उपस्थित किए जाने वाले संकल्प का पाठ प्रस्तुत करेगा :
>
> परन्तु यह कि सभापति इसे पन्द्रह दिनों से कम अवधि में कार्यावलि में दर्ज करने की अनुमति दे सकता है।''

समिति ने 22 मई, 1979 को प्रस्तुत और 24 दिसम्बर, 1981 को स्वीकृत अपने दूसरे प्रतिवेदन में समुक्ति की कि नियमों के आरंभ होने के समय से प्रचलित प्रथा के अनुसार जो सदस्य संकल्प की सूचना देना चाहते हैं, वे इस आशय की सूचना पहले केवल लिखित रूप में दें। नियत समय के भीतर जिन सदस्यों से सूचना प्राप्त हो जाती है, उनका नाम तथा वे सदस्य, जो गैर–सरकारी सदस्यों के संकल्पों के लिए नियत दिन की लॉटरी में पहले पांच स्थान प्राप्त कर लेंगे, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे एक–एक संकल्प की सूचना दें, जिन्हें नियमों के अंतर्गत स्वीकार्यता के मुताबिक लॉटरी में क्रम में कार्यावलि में दर्ज किया जाएगा। संकल्प उपस्थित करने के आशय की सूचना देने के संबंध में प्रचलित प्रथा के मद्देनजर समिति ने सिफारिश की कि विद्यमान नियम ***को*** निम्नलिखित से ***प्रतिस्थापित*** किया जाएः

> **''मंत्री के अतिरिक्त कोई सदस्य जो गैर–सरकारी सदस्यों के संकल्पों के लिए नियत दिन पर संकल्प उपस्थित करना चाहता हो, इस आशय की सूचना लॉटरी[1] निकालने की तिथि से कम से कम दो दिन पूर्व देगा। उन सभी सदस्यों के नामों की लॉटरी[2] निकाली जाएगी जिससे इस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होंगी और वे सदस्य, जो गैर–सरकारी सदस्यों के संकल्पों के लिए नियत दिन की लॉटरी में पहले पांच स्थान प्राप्त कर लेंगे, लॉटरी निकालने की तिथि से दस दिन के अंदर एक–एक संकल्प की सूचना देने के पात्र होंगे।**

[1] 24 दिसम्बर, 1981 को स्वीकृत नियम समिति के तीसरे प्रतिवेदन द्वारा बाद में शब्द 'लॉटरी निकालने' को ***प्रतिस्थापित*** किया गया।

[2] 24 दिसंबर, 1981 को स्वीकृत नियम समिति के तीसरे प्रतिवेदन द्वारा बाद में शब्द ***लॉटरी निकालने*** को ***प्रतिस्थापित*** किया गया।

8.2 संकल्प का रूप : संकल्प के रूप से संबंधित नियम 155 को आरंभ में निम्नानुसार बनाया गया थाः–

''संकल्प, राज्य सभा द्वारा सम्मति की घोषणा के रूप में होगा।''

समिति ने 2 दिसंबर, 1981 को सभा में प्रस्तुत तथा 24 दिसम्बर, 1981 को स्वीकृत अपने तीसरे प्रतिवेदन में समुक्ति की कि सभापति को किसी संकल्प को किसी अन्य ऐसे रूप में जिसे वह उचित समझे, स्वीकृत करने की शक्ति दी जानी चाहिए। इसलिए समिति ने सिफारिश की कि शब्द ^**या ऐसे अन्य रूप में, जिसे सभापति समुचित समझे''** को मौजूदा नियम 155 के अंत में ***जोड़ा*** जाए। तदनुसार नियम 155 को निम्नानुसार संशोधित किया गया–

> ^ संकल्प, राज्य सभा द्वारा सम्मति की घोषणा के रूप में ***या ऐसे अन्य रूप में, जिसे सभापति समुचित समझे,*** होगा।''

अध्याय – 9

सभा की समितियां

9.1 पृष्ठभूमि : नियमों के आरंभ के समय अर्थात, 16 मई, 1952 को सभा की कुछ समितियों के लिए उपबंध पहले से ही मौजूद थे। पुराने नियमों 103–114 के अन्तर्गत एक याचिका समिति का उपबंध था। तथापि, यह समिति विधायी प्रक्रिया का ही एक भाग थी तथा केवल विधेयकों से संबंधित याचिकाओं तक ही सीमित थी यह समिति मूलतः उस विधेयक से संबंधित याचिकाओं को देखती थी जिसे नियम 49 (अब नियम 61) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया हो अथवा जिसे पुरःस्थापित किया गया हो अथवा जिसके संबंध में प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई हो। विशेषाधिकार समिति और नियम समिति के लिए उपबंध पुराने नियमों में पहले से ही मौजूद थे। यद्यपि ये किंचित अलग स्वरूप में थे। कार्य मंत्रणा समिति अधीनस्थ विधान संबंधी समिति और सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति जैसी समितियों के लिए कोई उपबंध मौजूद नहीं था।

9.2 कार्य मंत्रणा समिति : सभापति को नियमों में संशोधन/आशोधन के लिए सुझाव देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 118(2) के अन्तर्गत गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत के राजपत्र के असाधारण भाग।, खंड 1 में प्रकाशित दिनांक 4 अगस्त, 1952 की राज्य सभा अधिसूचना संख्या सी एस/3/52–एल के द्वारा कार्य मंत्रणा समिति को पहली बार अधिसूचित किया गया था। ब्यौरे के लिए अध्याय 5, पैरा 5.7 देखें।

9.3 याचिका समिति : संविधान के अनुच्छेद 118(1) के अन्तर्गत प्रक्रिया विषयक प्रारूप नियमों की सिफारिश करने के लिए गठित समिति ने याचिका संबंधी नियमों के दायरे में विस्तार किया। **ताकि सामान्य जनहित के मामलों से संबंधित याचिकाओं के लिए भी उपबंध किया जा सके**। तदनुसार याचिका/याचिका समिति से संबंधित नियमों की और पहली अनुसूची (याचिका का प्रारूप) का पुनःप्रारूपण किया गया। 103 से 114 तक के पुराने नियमों को 137–153 तक के नए नियमों, जिस रूप में वे अभी विद्यमान है, द्वारा प्रस्थापित किया गया। जो 1 जुलाई, 1964 से प्रभावी हुए नए नियमों में याचिका/याचिका समिति को एक अलग अध्याय x के अन्तर्गत रखा गया। पुराने नियमों के विपरीत, याचिका संबंधी नए नियमों में कहा गया है कि इन नियमों के अनुसार सभापति की अनुमति से याचिकाएं राज्य सभा में उपस्थित अथवा प्रस्तुत की जा सकेंगी।

नए नियमों में याचिकाओं के दायरे (नियम 138) के संबंध में निम्नलिखित उपबंध है :–

138. याचिकाओं का संबंध निम्नलिखित से होगा :–

(1) ऐसा विधेयक जो नियम 61 के अधीन प्रकाशित किया गया हो अथवा पुरःस्थापित किया गया हो अथवा जिसके बारे में इन नियमों के अधीन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई हो;

(2) कोई ऐसा अन्य विषय जो राज्य सभा के विचाराधीन कार्य से संबंधित हो; और

(3) कोई विषय जो सामान्य लोक हित का हो परन्तु ऐसा न हो –

(क) जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय या किसी जांच न्यायालय या किसी परिनियत न्यायाधिकरण प्राधिकारी या किसी अर्धन्यायिक निकाय या आयोग के संज्ञान में हो;

(ख) जिससे ऐसे विषय उठते हों जिनसे भारत सरकार मुख्यतया संबंधित न हो;

(ग) जो किसी मूल प्रस्ताव या संकल्प के द्वारा उठाया जा सकता हो; अथवा

(घ) जिसके लिए, विधि के अधीन, जिनमें नियम, विनियम, उपविधियां सम्मिलित होंगी जो केन्द्रीय सरकार या किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा बनाये गये हों जिसे ऐसे नियम, विनियम या उपविधियां बनाने की शक्ति प्रत्यायोजित की गई हो, उपचार उपलब्ध है।

याचिका समिति के सदस्यों की संख्या भी पांच से बढ़ाकर दस कर दी गई तथा परिणामस्वरूप, नियमों में समिति के लिए गणपूर्ति का उपबंध भी किया गया जोकि पांच सदस्यों का था।

9.4 अधीनस्थ विधान संबंधी समिति : मूल रूप से अधिसूचित नियमों में अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के लिए कोई उपबंध नहीं था। संविधान के अनुच्छेद 118(1) के अन्तर्गत प्रक्रिया विषयक नियमों के प्रारूप की सिफारिश करने के लिए गठित समिति ने **एक अलग अध्याय में अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का उपबंध इस बात की परिनिरीक्षा करने और राज्य सभा को यह प्रतिवेदन करने के लिए किया कि क्या संसद द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति का प्रयोग इस शक्ति का प्रत्यायोजन करने वाले ढांचे के भीतर उचित रूप से किया गया है** (नियम 204)।

नियम समिति ने 10 अप्रैल, 1972 को सभा में प्रस्तुत और 1 जून, 1972 को स्वीकार किए गए अपने पहले प्रतिवेदन में नियम 204 को निम्नलिखित द्वारा ***प्रतिस्थापित*** किया:

''**204. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति**

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति **इस बात की परिनिरीक्षा करने और राज्य सभा को यह प्रतिवेदन करने के लिए होगी कि क्या नियमों, विनियमों, उपविधियों, योजनाओं अथवा अन्य परिनियत संलेखों को बनाने की संविधान द्वारा प्रदत्त या संसद द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग, यथास्थिति उस परिदान या प्रत्यायोजन के अन्तर्गत उचित रूप से किया गया है।''**

समिति ने नियम 209 के अन्तर्गत अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के कृत्यों को निम्नलिखित रूप से आगे पुनःपरिभाषित किया है–

''**209. समिति के कृत्य : संविधान** के अथवा संसद द्वारा किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को प्रत्यायोजित वैधानिक कृत्यों के अनुसरण में बनाये गये प्रत्येक नियम, विनियम, उपविधि, योजना अथवा अन्य परिनियम, संलेख के (जिसे इसके पश्चात ''आदेश'' कहा गया है) जिसको संसद के समक्ष रखा जाना अपेक्षित हो, राज्य सभा के समक्ष इस प्रकार रखे जाने के बाद, समिति विशेष रूप से इस बात पर विचार करेगी कि –

1. क्या वह **आदेश, संविधान** के उपबन्धों अथवा उस अधिनियम के अनुकूल है जिसके अनुसरण में वह बनाया गया है।
2. क्या उस **आदेश** में ऐसा विषय अन्तर्विष्ट है जिसे समिति की राय में अधिक समुचित ढंग से संसद के अधिनियम के द्वारा निपटाया जाये;
3. क्या उस आदेश में करारोपण अंतर्विष्ट है;
4. क्या उस **आदेश** से न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रुकावट होती है;
5. क्या वह **आदेश** उन उपबंधों में से किसी को भूतलक्षी प्रभाव देता है जिसके संबंध में संविधान अथवा अधिनियम स्पष्ट रूप से ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं करता;
6. क्या उस **आदेश** में भारत की संचित निधि या लोक राजस्व में से व्यय अन्तर्ग्रस्त है;
7. क्या **उस आदेश में संविधान अथवा** उस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का, जिसके अनुसरण में वह बनाया गया है, असामान्य अथवा अप्रत्याशित उपयोग किया गया प्रतीत होता है;
8. क्या **उस आदेश** के प्रकाशन में या उसके संसद के समक्ष रखे जाने में अनुचित विलम्ब हुआ प्रतीत होता है; और

9. क्या किसी कारण से **आदेश** के रूप या अभिप्राय के किसी विशुद्धीकरण की आवश्यकता है।

[मोटे अक्षरों वाले शब्द 1964 में बनाए गए नियमों में संशोधनों को दर्शाते हैं]

तदनुसार समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार नियम 204 और 209 में संशोधन किया गया जो 1 जुलाई, 1972 से प्रभावी हुए।

9.5 सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति : जून, 1972 तक नियमों के अन्तर्गत सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के लिए कोई उपबंध नहीं था। 10 अप्रैल, 1972 को सभा में प्रस्तुत अपने पहले प्रतिवेदन में, जिसे 1 जून, 1972 को स्वीकार किया गया, समिति ने समुक्ति की कि अब तक राज्य सभा में मंत्रालयों द्वारा दिए गए आश्वासनों के संबंध में यह व्यवस्था थी कि संसदीय कार्य विभाग संबंधित मंत्रालयों/विभागों से मामला उठाता था और आवश्यक जानकारी एकत्रित करता था जो यथासमय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सभा के पटल पर रख दी जाती थी। समिति ने महसूस किया कि इस संबंध में प्रचलित प्रथा में सब कुछ मंत्रालयों की मर्जी पर छोड़ दिया जाता था। समिति की राय थी कि सरकारी आश्वासनों के संबंध में राज्य सभा की अपनी समिति होनी चाहिए। अतः समिति ने एक नए अध्याय XXII–क के अन्तर्गत सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के गठन और कार्यों से संबंधित नए नियमों (नियम 212 क–212छ) की सिफारिश की। नए नियम जिस रूप में आज वे विद्यमान हैं 1 जुलाई, 1972 से प्रभावी हुए।

9.6 सभा–पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति : नवंबर 1981 तक नियमों के अन्तर्गत सभा–पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के लिए कोई उपबंध नहीं था। नियम समिति ने अपने दूसरे प्रतिवेदन में सभा-पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति गठित करने के सुझाव पर विचार किया। समिति ने पाया कि अधिकांश प्रतिवेदन कई वर्ष बीत जाने के पश्चात् सभा-पटल पर रखे जाते थे और अनुसूचित जाति और अनूसूचित जनजाति आयुक्त तथा संघ लोक सेवा आयोग के दो से तीन वर्षों के प्रतिवेदनों पर एक साथ चर्चा करना एक आम प्रथा बन गई थी। इस मामले में अंतिम निर्णय लेने से पहले, इसे राज्य सभा में विभिन्न दलों/समूहों के नेताओं को भेजा गया ताकि इस पर उनके विचार लिए जा सकें। नेताओं की सहमति अनुसार समिति ने सिफारिश की कि लोक सभा में गठित इसी प्रकार की समिति के समान राज्य सभा की भी एक समिति होनी चाहिए।

नए नियम 212(ज)–212(ण) के अंतर्गत सभा-पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का उपबंध करने के लिए एक नया अध्याय XVIIख जोड़ा गया। समिति 15 जनवरी, 1982 से प्रभावी हो गई जब नए नियमों को अधिसूचित किया गया।

9.7 आवास समिति : यद्यपि आवास समिति अन्य बातों के साथ–साथ सदस्यों के आवास से संबंधित सभी मामलों और आवास इत्यादि से जुड़ी सुविधाओं के पर्यवेक्षण का कार्य राज्य सभा के अस्तित्व में आने के समय से ही करती रही है। फिर भी, इसका उपबंध नियमों के मुख्य संकलन में नहीं है। नियम समिति ने 19 मार्च, 1986 को सभा में प्रस्तुत किए गए और 14 मई, 1986 को स्वीकृत किए गए अपने चौथे प्रतिवेदन में यह समुक्ति की थी कि आवास समिति को नियमों के संकलन में शामिल नहीं किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। तदनुसार, समिति ने, एक नये अध्याय 17ग के अन्तर्गत आवास समिति के उपबंध के लिए 212त से 212ब तक के नये नियमों की सिफारिश की। नये नियम 1 जुलाई, 1986 से प्रभावी हो गए।

9.8 सामान्य प्रयोजन समिति : आवास समिति की तरह ही, सामान्य प्रयोजन समिति भी नियमों के अंतर्गत उपबंध नहीं किए जाने के बावजूद 22 मई, 1957 से अप्रैल, 2000 तक कार्य करती रही। 22 मई, 1957 को पहली बार 16 सदस्यों के साथ इसका गठन सभा के कार्यों या उन मामलों के संबंध में विचार करने और सभापति को सलाह देने के लिए किया गया था। जो विशिष्ट रूप से किसी अन्य संसदीय समिति के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते थे। नियम समिति ने 12 मई, 2000 को सभा में प्रस्तुत और 15 मई, 2000 को स्वीकृत अपने आठवें प्रतिवेदन में राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य-संचालन विषयक नियमों के संकलन में सामान्य प्रयोजन समिति को शामिल करने संबंधी विषय पर विचार किया। इससे पूर्व सामान्य प्रयोजन समिति ने 28 जुलाई, 1999 को हुई अपनी बैठक में यह भी महसूस किया कि राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य-संचालन विषयक नियमों में इस समिति को शामिल किया जाना चाहिए। तदनुसार नियम समिति ने एक नये अध्याय 23 के अधीन सामान्य प्रयोजन समिति का उपबंध करने के लिए 278–285 तक के नये नियमों की सिफारिश की।

9.9 आचार समिति : आचार समिति अपेक्षाकृत हाल ही में बनी है। नियम समिति ने 6 मार्च, 2000 को पहली बार आचार समिति से संबंधित प्रारूप नियमों पर विचार किया। 14 जुलाई, 2004 को नियम समिति द्वारा आचार समिति से संबंधित नियमों को स्वीकार किया गया जब वह अपने नौवें प्रतिवेदन पर विचार कर रही थी जिसे सभा में 20 जुलाई, 2004 को प्रस्तुत किया गया था और उसी दिन स्वीकृत किया गया था। समिति ने एक नये अध्याय 24 के अंतर्गत आचार समिति का उपबंध करने के लिए 286–303 तक नये नियमों की सिफारिश की। नये नियम 20 जुलाई, 2004 से प्रभावी हो गए।

9.10 नियम समिति : यह समिति, नियमों के बनने के समय से ही इन नियमों के अधीन अस्तित्व में है। प्रारंभ में यह पन्द्रह सदस्यों के साथ गठित की गई थी, जिसमें सभा के सभापति भी शामिल थे, जो इस समिति के पदेन अध्यक्ष थे, न तो उप–सभापति को इस समिति के सदस्य होने का कोई उपबंध था न ही समिति के प्रतिवेदन को सभा

में प्रस्तुत करने की कोई प्रक्रिया/उपबंध था। समिति को नियमों में आवश्यक समझे गए संशोधन या परिवर्धन की सिफारिश सभापति को करनी होती थी। संविधान के अनुच्छेद 118(1) के अधीन प्रक्रिया विषयक नियमों का प्रारूप तैयार करने वाली समिति ने नियम समिति के प्रत्येक प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखने के लिए एक उपबंध को शामिल करने की सिफारिश की। समिति द्वारा इस संबंध में अनुशंसित संगत नियम इस प्रकार थे–

219. समिति का प्रत्येक प्रतिवेदन, जिसमें उसकी सिफारिशें अन्तर्विष्ट होंगी, को सभा–पटल पर रखा जाएगा।

220.(1) प्रतिवेदन के प्रस्तुत किए जाने के बाद, यथाशीघ्र, सभापति[1] द्वारा नामोद्दिष्ट समिति का कोई सदस्य यह प्रस्ताव कर सकेगा कि समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया जाए।

(2) कोई सदस्य प्रतिवेदन पर विचार करने के प्रस्ताव में संशोधन की सूचना उस रूप में दे सकेगा, जैसे सभापति उपयुक्त समझे।

(3) प्रतिवदेन पर विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने के बाद, सभापति द्वारा नामोद्दिष्ट समिति का कोई सदस्य प्रस्ताव कर सकेगा कि राज्य सभा प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों से सहमत है, अथवा संशोधन सहित सहमत है।

(4) नियमों के संशोधन जिस रूप में वे राज्य सभा द्वारा अनुमोदित हों, सभापति [सभा के][1] द्वारा नियत तिथि से प्रभावी होंगे।

नियम समिति ने, अपने तीसरे प्रतिवेदन में अन्य बातों के साथ–साथ, अपनी समिति के प्रक्रिया विषयक नियमों पर विचार किया और कुछ अन्य समितियों के मामले की तरह ही यह समुक्ति की थी कि समिति के कार्य को सुविधाजनक बनाने और समिति द्वारा अनुशंसित संशोधनों के संबंध में सभा में आवश्यक प्रस्ताव लाने के लिए उप-सभापति को भी समिति का सदस्य बनाया जाना चाहिए। अतः समिति ने सिफारिश की कि नियम सं. 217, 219, 220(1) एवं 220(3) को समुचित रूप से संशोधित किया जाए। संशोधित नियमों का वर्तमान स्वरूप इस प्रकार है–

217. गठन

(1) नियम समिति सभापति द्वारा नाम-निर्देशित की जाएगी और उसमें सभापति ***तथा उपसभापति*** सहित ***सोलह*** सदस्य होंगे।

---

[1] 2 दिसम्बर, 1981 को प्रस्तुत तृतीय प्रतिवेदन के द्वारा नियम समिति द्वारा बाद में इसका लोप कर दिया गया।

(2) सभापति समिति का अध्यक्ष होगा।

(3) उप–नियम (1) के अधीन नाम–निर्देशित समिति नई समिति के नाम–निर्देशित होने तक कार्य करती रहेगी।

(4) समिति में आकस्मिक रूप से रिक्त स्थान सभापति द्वारा भरे जाएंगे।

(5) यदि सभापति किसी कारण से समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने में असमर्थ हों **तो *उप-सभापति उसके स्थान पर समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।***

(6) यदि सभापति **अथवा *उप-सभापति, यथास्थिति,*** किसी कारण से किसी बैठक का सभापतित्व करने में असमर्थ हो, तो समिति उस बैठक के लिए अध्यक्ष के रूप में कार्य करने हेतु ***किसी अन्य सदस्य*** को चुनेगी।

219. **प्रतिवेदन का उपस्थापन**– समिति का प्रतिवेदन, जिसमें उसकी सिफारिशें अन्तर्विष्ट होंगी, ***उप-सभापति अथवा उसकी अनुपस्थिति में समिति के किसी सदस्य द्वारा*** राज्य सभा में प्रस्तुत किया जाएगा।

220(1) प्रतिवेदन के प्रस्तुत किए जाने के बाद, यथाशीघ्र, ***उप-सभापति, अथवा उसकी अनुपस्थिति में सभापति द्वारा नामोद्दिष्ट समिति का कोई सदस्य*** यह प्रस्ताव कर सकेगा कि समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया जाए।

220(3) प्रतिवेदन पर विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने के बाद, ***उपसभापति अथवा उसकी अनुपस्थिति*** में सभापति द्वारा नामोद्दिष्ट समिति का कोई सदस्य प्रस्ताव कर सकेगा कि राज्य सभा प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों से सहमत है, अथवा संशोधन सहित सहमत है।

9.11 विशेषाधिकार समिति : (i) सभा की कतिपय अन्य समितियों की तरह नियमों को सर्वप्रथम अधिसूचित किए जाने के समय विशेषाधिकार समिति भी अस्तित्व में थी। विशेषाधिकार समिति को विशेषाधिकार का प्रश्न सौंपे जाने के संबंध में नियम 191 प्रारंभ में निम्नानुसार था :

> ''यदि नियम, 190 (अब नियम 191) के अधीन अनुमति दे दी जाए, जो राज्य सभा के नेता या किसी अन्य सदस्य जिसे वह इस नियम के अधीन अपना कार्य सौंपता है द्वारा लाये गये प्रस्ताव पर प्रश्न को विशेषाधिकार समिति का सौंपा जाएगा।''

संविधान के अनुच्छेद 118(1) के अंतर्गत गठित प्रक्रिया विषयक नियमों के प्रारूप की सिफारिश करने के लिए बनी समिति ने पुराने नियम को निम्नलिखित नियम को ***प्रतिस्थापित*** किया:

''यदि नियम 190 के अधीन अनुमति दे दी जाए तो राज्य सभा प्रश्न पर विचार कर सकेगी और निर्णय कर सकेगी अथवा या तो राज्य सभा के नेता द्वारा या उनकी अनुपस्थिति में किसी अन्य सदस्य द्वारा किए गए प्रस्ताव पर उसे विशेषाधिकार समिति को सौंप सकेगी।''

संशोधित नियम 191, 1 जुलाई 1994 से प्रभावी हुआ।

(ii) समिति ने विशेषाधिकार के प्रश्न की ग्राह्यता की शर्तों के संबंध में एक नये नियम (नियम 189) को भी निम्नानुसार पुरःस्थापित किया :

189. ग्राह्यता की शर्तें

विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने का अधिकार निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, अर्थातः–

(i) प्रश्न हाल ही में हुए किसी विशिष्ट मामले तक सीमित रहेगा; और

(ii) मामले में राज्य सभा का हस्तक्षेप अपेक्षित होगा।

नया नियम 1 जुलाई 1964 से प्रभावी हो गया था।

(iii) 1981 में नियम 191 में एक अल्प संशोधन किया गया जब नियम समिति ने 2 दिसम्बर, 1981 को प्रस्तुत और 24 दिसम्बर, 1981 को स्वीकृत अपने तीसरे प्रतिवेदन में यह सिफारिश की कि ''राज्य सभा के नेता या उनकी अनुपस्थिति में किसी अन्य सदस्य द्वारा किए गए प्रस्ताव पर'' शब्दों को ***''उस सदस्य द्वारा जिसने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है या किसी अन्य सदस्य द्वारा किए गए प्रस्ताव पर''*** शब्दों से ***प्रतिस्थापित*** किया जाए। तदनुसार, नियम 191 में संशोधन कर दिया गया था।

अध्याय – 10

विभाग–संबंधित संसदीय स्थायी समितियां

10.1 पृष्ठभूमि : विधायिकाओं में विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समितियां अथवा विषयाधारित समितियों को प्रारंभ किए जाने का विचार 1978 में उठा, जब भुवनेश्वर में हुए पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में इस मुद्दे पर चर्चा की जा रही थी वहां ''समिति व्यवस्था'' पर पीठासीन अधिकारियों की एक समिति बनाई गई। उस समिति के प्रतिवेदन पर लखनऊ में 1985 में हुए पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में विचार किया गया और उसे स्वीकार किया गया।

10.2 राज्य सभा में प्रारंभ : राज्य सभा की सामान्य प्रयोजन समिति ने पहली बार 17 अगस्त, 1992 को इस विषय पर तब विचार किया जब समिति ने ऐसी तीन समितियों अर्थात् (i) मानव संसाधन विकास संबंधी समिति (ii) उद्योग संबंधी समिति और (iii) श्रम संबंधी समिति के गठन का सुझाव दिया। नियम समिति ने 18 अगस्त, 1992 को हुई अपनी बैठक में सामान्य प्रयोजन समिति के सुझाव पर विचार किया और उस पर सहमति व्यक्त की। समिति ने 19 अगस्त, 1992 को प्रस्तुत और 20 अगस्त, 1992 को स्वीकृत अपने पांचवें प्रतिवेदन में समुक्ति की कि तीनों समितियों की स्थापना का उद्देश्य राष्ट्र–निर्माण के क्षेत्रों के साथ संसद सदस्यों के जुड़ाव को व्यापक बनाना और गुणवत्तापरक बनाना है ताकि इस संबंध में सभाओं के सदस्यों के गूढ़ अनुभव और विशेषज्ञता का अधिकतम उपयोग किया जा सके। तदनुसार, समिति ने नए नियमों 212भ – 212यग (मानव संसाधन विकास संबंधी समिति के लिए), 212ड.– 212यट (उद्योग संबंधी समिति के लिए) और 212यठ –212यद (श्रम संबंधी समिति के लिए) की सिफारिश की। समिति ने संगत नियमों के अन्तर्गत उक्त समितियों के लिए 22 सदस्यों की सदस्यता की सिफारिश की जिसमें 8 सदस्य राज्य सभा के और 14 सदस्य लोक सभा के होंगे। नियमों में विधेयकों से संबंधित प्रक्रिया के लिए और अनुदान माँगों से संबंधित प्रक्रिया के लिए अलग से कोई उपबंध नहीं था। इन समितियों के कार्यों से संबंधित उपबन्ध नितान्त व्यापक था। उदाहरण के लिए समिति ने नियम 212भ(2) के अन्तर्गत मानव संसाधन विकास संबंधी समिति के निम्नलिखित कार्यों की सिफारिश की है :–

212भ(2) समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे :–

(क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय और संबद्ध विभागों के ऐसे कार्यकलापों की जांच करना जैसाकि समिति उचित समझे;

(ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय और संबद्ध विभागों के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच इस दृष्टि से करना कि उन पर हुए व्यय की उपयोगिता का पता लगाया जा सके;

(ग) संसद द्वारा अनुमोदित नीति के अनुरूप ऐसे प्रभावोत्पादक मितव्ययिता, संगठन सुधार अथवा प्रशासनिक सुधारों पर प्रतिवेदन देना जिन्हें लागू किया जा सकता है;

(घ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय और संबद्ध विभागों की ऐसी योजनागत परियोजनाओं/कार्यकलापों की जांच करना जैसाकि समिति उचित समझे अथवा जिन्हें विशेषरूप से राज्य सभा अथवा सभापति द्वारा भेजा गया हो; और

(ङ) विभिन्न कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना :

(i) राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत;

(ii) देश की सांस्कृतिक परपंराओं के संरक्षण, संवर्धन और समृद्धि के लिए;

(iii) कला के विभिन्न रूपों का संवर्धन, संरक्षण और विकास, कला और शिल्प में मौलिक अनुसंधान के लिए;

(iv) खेल से संबंधित कार्यकलापों और परियोजनाओं के संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना;

तथा देश की प्रगति और विकास में अपने योगदान को बढ़ाने और समृद्ध करने की दृष्टि से मानव संसाधन के एकीकृत और सर्वांगीण विकास के लिए उपाय सुझाना।

10.3 और आगे विकास : 23 फरवरी, 1993 को सामान्य प्रयोजन समिति और नियम समिति ने पूरे मामले पर फिर से विचार किया। 11 मार्च, 1993 को दोनों सभाओं की नियम समितियों की संयुक्त बैठक में भी इस मामले पर चर्चा हुई। इन चर्चाओं के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के संबंध में स्थायी समितियाँ गठित किए जाने पर व्यापक सहमति बनी। इन समितियों का गठन मौजूदा तीनों समितियों अर्थात् राज्य सभा में मानव संसाधन विकास, उद्योग और श्रम तथा लोक सभा में कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन के स्थान पर किया जाना था। तदनुसार, समिति ने 24 मार्च, 1993 को प्रस्तुत अपने छठे प्रतिवेदन में अपने पांचवें प्रतिवेदन का अधिक्रमण करते हुए एक नए अध्याय XXII के अन्तर्गत 268–277 तक नए नियम प्रस्तावित करते हुए विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समितियों के सृजन

की सिफारिश की। नियम 268(2) के संदर्भ में नियमों में तीसरी अनुसूची भी जोड़ी गई जिसके अनुसार प्रत्येक स्थायी समिति, तीसरी अनुसूची में यथा-विनिर्दिष्ट, मंत्रालयों/विभागों से संबंधित होगी। नियम 269(2) के अनुसार तीसरी अनुसूची के भाग-I में विनिर्दिष्ट प्रत्येक समिति का अध्यक्ष, राज्य सभा के सभापति द्वारा संबंधित समितियों के सदस्यों में से नियुक्त किया जाएगा तथा उक्त अनुसूची के भाग-II में विनिर्दिष्ट प्रत्येक समिति का अध्यक्ष लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाएगा। नियम 269(1) के अन्तर्गत प्रत्येक समिति में 45 सदस्यों की सिफारिश की गई। जिनमें से 30 सदस्य लोक सभा के और 15 सदस्य राज्य सभा के होंगे। नियम 269(1) में इस आशय का एक परन्तुक जोड़ा गया कि यदि किसी सदस्य को मंत्री नियुक्त किया जाता है तो उसे ऐसी किसी भी समिति में नाम-निर्देशित नहीं किया जाएगा और न ही वह समिति का सदस्य बना रह सकता है। प्रस्तावित नियम 270 के अन्तर्गत समितियों के कार्यों में ***अन्य बातों के साथ–साथ*** संबंधित मंत्रालयों/विभागों से संबंधित ऐसे विधेयकों की जांच करना, जो यथास्थिति सभापति या अध्यक्ष द्वारा समिति को सौंपे गए हैं, और उन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना और संबंधित मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों (बिना किसी कटौती प्रस्ताव के) पर विचार करना और उन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना शामिल है) प्रत्येक समिति द्वारा प्रस्तावित नियम 272 और 273 के अन्तर्गत क्रमशः विधेयकों और अनुदान मांगों पर विचार किए जाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को भी स्पष्ट किया गया। प्रस्तावित नियम 277 में यह भी उपबंध किया गया कि स्थायी समिति का प्रतिवेदन सुझावात्मक महत्त्व का होगा और इसे समिति द्वारा विचारित सलाह के रूप में माना जाएगा। नियम 275 के अन्तर्गत इस आशय का उपबंध किया गया कि अन्य मामलों में विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों से संबंधित नियम, तीसरी अनुसूची के भाग-I में विनिर्दिष्ट स्थायी समितियों पर आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे तथा लोक सभा में अन्य संसदीय समितियों पर लागू होने वाले सामान्य नियम, तीसरी अनुसूची के भाग-II में विनिर्दिष्ट समितियों पर लागू होंगे। सभा ने 29 मार्च, 1993 को उपर्युक्त नियम 268–277 तथा तीसरी अनुसूची को नियमों में जोड़े जाने की सिफारिश करने वाले नियम समिति के छठे प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया। सभा द्वारा यथास्वीकृत नए नियम 29 मार्च, 1993 से प्रभावी हुए।

10.4 विभाग–संबंधित स्थायी समितियों की पुनर्संरचना : नियम समिति ने 20 जुलाई, 2004 को प्रस्तुत और उसी दिन स्वीकृत अपने दसवें प्रतिवेदन में विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समितियों की पुनर्संरचना के संबंध में विचार किया। समिति ने पाया कि इनमें से कुछ समितियां अपने मौजूदा सौंपे गए कार्य के बोझ से दबी पड़ी हैं क्योंकि इनके अधिकार–क्षेत्र में बड़ी संख्या में मंत्रालय/विभाग आते हैं। इसमें प्रायः सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब होता है। समिति ने इन समितियों द्वारा कार्य की बहुत अधिकता

और समय की कमी के कारण विशिष्ट क्षेत्रों की जांच के लिए उप-समितियां नियुक्त किए जाने की प्रवृत्ति पर भी गौर किया जिससे सचिवालय के संसाधनों पर भी दबाव पड़ता है। इस पृष्ठभूमि में समिति ने समुक्ति की कि इन समितियों के बीच कार्य के वितरण को युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए ताकि वे और अधिक कुशलता से कार्य कर सकें तथा और अधिक केन्द्रित दृष्टिकोण अपना सकें जिससे उनके अधिकार–क्षेत्र वाले विषयों में उन्हें और अधिक विशेषज्ञता हासिल हो।

अतः समिति ने अनुसूची 3 के भाग-I में दो नई समितियां जोड़ते हुए और भाग-II में पांच नई समितियां जोड़ते हुए तीसरी अनुसूची में संशोधन की सिफारिश की। मानव संसाधन विकास संबंधी समिति से मंत्रालय/विभाग को काटकर अलग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी एक नई समिति बनाई गई। गृह संबंधी समिति से मंत्रालयों को काटकर अलग करते हुए कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन, विधि और न्याय संबंधी एक नई समिति का सृजन किया गया। इन दो नई समितियों को तीसरी अनुसूची के भाग-I में जोड़ा गया। इसी प्रकार तीसरी अनूसूची के भाग-II में, जल संसाधन संबंधी समिति, रसायन और उर्वरक संबंधी समिति, ग्रामीण विकास संबंधी समिति, कोयला और इस्पात संबंधी समिति और सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति को नई समितियों के रूप में जोड़ा गया। परमाणु ऊर्जा विभाग को जिसे पहले ऊर्जा संबंधी समिति के अधिकार–क्षेत्र में रखा गया था अब भाग-I में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन मंत्रालय के अन्तर्गत रखा गया। इस्पात मंत्रालय को भाग-I में उद्योग संबंधी समिति से हटाकर तीसरी अनुसूची के भाग-II में कोयला और इस्पात संबंधी नई समिति के अन्तर्गत रखा गया। सात नई समितियों के सृजन से उनमें सदस्यों की संख्या को भी समायोजित किया जाना था। अतः समिति ने सदस्यों की कुल संख्या को 45 से घटाकर 31 करने के लिए नियम 269(1) में संशोधन की सिफारिश की। इसमें से 21 सदस्य लोक सभा के होंगे और 10 सदस्य राज्य सभा के होंगे। 20 जुलाई, 2004 को सभा द्वारा समिति का दसवां प्रतिवेदन स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप तीसरी अनुसूची और राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन विषयक नियमों का नियम 269(1) संशोधित हो गए। ये संशोधन 20 जुलाई, 2004 से प्रभावी हुए।

अध्याय – 11

सदस्य की गिरफ्तारी, निरोध आदि और रिहाई के संबंध में सभापति को सूचना

समिति ने 2 दिसम्बर, 1981 को प्रस्तुत और 24 दिसम्बर, 1981 को स्वीकार किए गए अपने तीसरे प्रतिवेदन में यह समुक्ति की कि किसी सदस्य की गिरफ्तारी, निरोध और रिहाई आदि के बारे में अध्यक्ष को सूचना देने का उपबन्ध करने वाले नियम बनाए जाने चाहिए। अतः समिति ने इस उद्देश्य से और नियमों में यथास्थिति सदस्य की गिरफ्तारी, निरोध, दोषसिद्धि या रिहाई के संबंध में सूचना प्रदान करने का प्रारूप प्रदान करने वाली दूसरी अनुसूची को शामिल करने के लिए एक नए अध्याय XXक के अंतर्गत नए नियमों 222क – 222ग को समाविष्ट करने की सिफारिश की। नए नियम 15 जनवरी, 1982 से प्रभावी हुए।

अध्याय – 12

लोक महत्व के विषयों पर ध्यान दिलाना

12.1 अल्पकालिक चर्चा : अल्पकालिक चर्चा के अंतर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा करने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 118(1) के अंतर्गत प्रक्रिया के प्रारूप नियमों की सिफारिश करने के लिए गठित समिति की सिफारिशों पर अस्तित्व में आई। समिति द्वारा यथा संस्तुत नए नियम, 1 जुलाई, 1964 से प्रभाव में आए और इनमें नियम 176-179 के अंतर्गत अल्पकालिक चर्चा के माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर चर्चा करने का प्रावधान शामिल था। नए नियम 1 जुलाई, 1964 से प्रभाव में आए।

12.2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव : (i) ध्यानाकर्षण की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 118(1) के अंतर्गत प्रक्रिया के प्रारूप नियमों की सिफारिश करने के लिए गठित समिति की सिफारिश पर अस्तित्व में आई। समिति द्वारा यथा-संस्तुत नए नियम 1 जुलाई, 1964 से प्रभाव में आए और इनमें नियम 180 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को उठाने का प्रावधान शामिल था।

(ii) 1972 से पहले, प्रश्नों के तुरंत बाद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार किया जाता था और पत्रों को सभा–पटल पर रखने के लिए मंत्रियों को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार किए जाने तक अनिश्चित समय तक इंतजार करना पड़ता था। तत्समय विद्यमान नियम 180(5) इस प्रकार थाः

''180(5) प्रस्तावित विषय प्रश्नों के बाद और कार्यावलि में दर्ज किसी अन्य विषय पर विचार किए जाने से पहले उठाया जाएगा और राज्य सभा की बैठक के दौरान अन्य किसी समय नहीं उठाया जाएगा।''

समिति ने 10 अप्रैल, 1972 को प्रस्तुत और 1 जून, 1972 को स्वीकार किए गए अपने पहले प्रतिवेदन में यह समुक्ति की कि पटल पर पत्रों को रखने का औपचारिक कार्य 'प्रश्नों' के तुरंत बाद किया जाना चाहिए और पत्रों के पटल पर रखने के बाद ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार किया जाना चाहिए। समिति ने महसूस किया कि इससे मंत्रीगण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार किए जाने तक सभा में इंतजार करने की बजाय पत्रों को पटल पर रखने के बाद अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वाह कर पाएंगे। अतः समिति ने नियम 180 के उप-नियम (5) में निम्नलिखित संशोधन की सिफारिश कीः–

''180(5) प्रस्तावित विषय प्रश्नों और ***यदि सभा.पटल पर रखे जाने के लिए कोई पत्र हों तो उनके सभा.पटल पर रखे जाने*** के बाद तथा कार्यावलि ***में दर्ज किसी अन्य मद के लिए जाने से*** पहले उठाया जाएगा और राज्य सभा की बैठक के दौरान अन्य किसी समय नहीं उठाया जाएगा।

तदनुसार, नियम 180(5) को संशोधित किया गया और 1 जुलाई, 1972 से प्रभावी बनाया गया।

(iii) समिति ने 22 मई, 1979 को प्रस्तुत और 24 दिसम्बर, 1981 को स्वीकार किए गए अपने दूसरे प्रतिवेदन में उप-नियम (1) में एक परंतुक की सिफारिश की जिससे किसी सदस्य द्वारा एक दिन में ध्यानाकर्षण सूचना की संख्या को केवल दो सूचनाओं तक सीमित कर दिया गया।

12.3 विशेष उल्लेख : राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन विषयक नियमों में लोक महत्व के विषयों के उल्लेख के संबंध में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं था। तथापि, इन विषयों के उल्लेख के संबंध में प्रक्रिया की शुरुआत पहली बार सभापति के निदेशानुसार 11 नवम्बर, 1974, राज्य सभा के 90वें सत्र की शुरुआत में हुई। नियम समिति ने 12 मई, 2000 को प्रस्तुत और 15 मई, 2000 को स्वीकार किए गए अपने आठवें प्रतिवेदन में **अन्य बातों के साथ–साथ** विशेष उल्लेख की सूचनाओं की ग्राह्यता आदि को नियंत्रित करने वाले नियमों को राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन विषयक नियमों में समाविष्ट करने के प्रश्न पर विचार किया। सभा का निर्बाध कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए, समिति ने विशेष उल्लेख के माध्यम से लोक महत्व के विषयों का उल्लेख करने के लिए नए नियमों 180क–180ङ की सिफारिश की। समिति द्वारा यथासंस्तुत और सभा द्वारा स्वीकार किए गए नए नियमों को 1 जुलाई, 2000 से प्रभावी बनाया गया।

अध्याय – 13

लोकहित के विषयों पर प्रस्ताव

13.1 प्रस्तावों की ग्राह्यता : (i) 12 मई, 2000 को प्रस्तुत और 15 मई, 2000 को स्वीकृत अपने आठवें प्रतिवेदन में महसूस किया कि सदस्यों से विभिन्न मुद्दों पर बड़ी संख्या में प्राप्त प्रस्ताव की सूचनाओं के कारण संबंधित नियमों को और भी व्यापक बनाने की आवश्यकता है ताकि उनकी जांच के दायरे को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सके जिससे कि सभापति उनकी ग्राह्यता पर निर्णय ले सकें। अतः समिति ने नियम 169 में (ix) से (xviii) तक, निम्नलिखित नये खण्डों को सम्मिलित करने की सिफारिश की–

नियम 169

कोई प्रस्ताव ग्राह्य हो सके, इसके लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करेगा, नामतः

***** ***** ***** *****

(ix) यदि उसमें कोई कथन हो तो सदस्य उस कथन की परिशुद्धता के लिए उत्तरदायी होगा;

(x) उसमें किसी गैर–सरकारी सदस्य द्वारा सभा–पटल पर रखे गए प्रलेखों अथवा पत्रों के संबंध में चर्चा की मांग नहीं की जाएगी;

(xi) उसमें सामान्यतः ऐसे विषयों के संबंध में जानकारी नहीं मांगी जाएगी जो किसी संसदीय समिति के समक्ष विचाराधीन हो;

(xii) उसमें राय प्रकट करने या किसी अन्य अमूर्त विधि संबंधी प्रश्न या किसी काल्पनिक प्रस्थापना के समाधान के लिए नहीं पूछा जाएगा;

(xiii) वह किसी ऐसे विषय से संबंधित नहीं होगा जो मुख्यतः भारत सरकार का विषय न हो;

(xiv) उसमें ऐसे विषय नहीं उठाए जाएंगे जो ऐसे निकायों या व्यक्तियों के नियंत्रण में हों जो भारत सरकार के प्रति उत्तरदायी न हों;

(xv) उसका किसी ऐसे विषय से संबंध नहीं होगा जिसका मंत्री से आधिकारिक रूप से संबंध नहीं हो;

(xvi) उसमें किसी मित्र देश के प्रति अशिष्ट उल्लेख नहीं होगा।

(xvii) वह मंत्रिमंडलीय चर्चा या किसी ऐसे मामले के संबंध में, जिसके बारे में संवैधानिक, सांविधिक अथवा पारंपरिक दायित्व है की सूचना न दी जाए, जैसे गोपनीय स्वरूप के विषयों के बारे में सूचना देने के संबंध में नहीं होगा, और

(xviii) उसमें तुच्छ विषयों के संबंध में जानकारी नहीं मांगी जाएगी।

(ii) नियम 168 के तहत प्रस्तुत किए जाने वाली सूचना का पूर्व का प्रारूप निम्नानुसार था :–

''महोदय,

राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन विषयक नियमों के नियम 168 के तहत मैं एतद्द्वारा राज्य सभा के वर्तमान/परवर्ती सत्र के दौरान प्रस्ताव लाने के इरादे की सूचना देता हूं।''

समिति ने सूचना के उपर्युक्त प्रारूप को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित करने की सिफारिश कीः–

''महोदय,

राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन विषयक नियमों के नियम 168 के तहत मैं एतद्द्वारा राज्य सभा के वर्तमान/परवर्ती सत्र के दौरान सामान्य लोकहित के विषय पर प्रस्ताव लाने के इरादे की सूचना देता/देती हूं।''

संशोधित नियम 169 और नियम 168 के तहत सूचना का प्रारूप 1 जुलाई, 2000 से प्रभावी हुआ।

13.2 पत्रों के लिए प्रस्ताव : ध्यानाकर्षण और अल्पकालिक चर्चा संबंधी नियमों के 1 जुलाई, 1964 को प्रभावी होने से पूर्व लोक महत्व के किसी अविलम्बनीय विषय पर सरकार के ध्यान को आकर्षित करने के लिए सदस्यों को उपलब्ध एकमात्र साधन पत्रों के लिए प्रस्ताव था, जो तब पुराने नियम 156 में उपबंधित था (परवर्ती रूप से जिसे नियम 175 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया गया)। नियम में निम्नानुसार उपबंधित हैः–

175. (i) अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा करने का इच्छुक कोई भी सदस्य 'पत्रों संबंधी' प्रस्ताव की सूचना दे सकता है और वह उठाए जाने वाले विषय का स्पष्टतः तथा यथार्थतः उल्लेख करेगा/करेगी।

(ii) यदि सभापति का, सूचना देने वाले सदस्य से और मंत्री से ऐसी जानकारी मांगने के बाद जिसे वह आवश्यक समझे, समाधान हो जाए कि विषय अविलम्बनीय है और राज्य सभा में जल्दी ही किसी तिथि को उठाए जाने के लिए पर्याप्त लोक महत्व का है तो वह सूचना ग्रहण कर सकेगा और ऐसी

तिथि निश्चित कर सकेगा जब ऐसा विषय चर्चा के लिए लिया जा सके और चर्चा के लिए उतने समय की अनुमति दे सकेगा जितना कि वह परिस्थितियों में उचित समझे और जो तीन घंटे से अधिक न होः

परन्तु यदि ऐसे प्रस्तावित विषय पर चर्चा के लिए अन्यथा जल्दी अवसर उपलब्ध हो तो सभापति सूचना ग्रहण करने से इन्कार कर सकेगा।

(iii) चर्चा के अंत में यदि राज्य सभा की अनुमति से प्रस्ताव को वापस नहीं लिया जाता अथवा यदि मंत्री बताते हैं कि सभा-पटल पर कोई भी पत्र नहीं रखा जाना है अथवा उपलब्ध पत्र सभा-पटल पर इस आधार पर नहीं रखे जा सकते हैं क्योंकि ऐसा करना जनहित में नहीं होगा, तो सभापति द्वारा समुचित रूप से स्वीकार्य किसी भी रूप में इस विषय पर राज्य सभा की राय को रिकॉर्ड करके कोई भी सदस्य संशोधन का प्रस्ताव रखने के लिए स्वतंत्र होगा।

(iv) यदि संशोधन का प्रस्ताव उपस्थित किया जाता है तो वह बिना चर्चा के राज्य सभा के समक्ष रखा जाएगा बशर्ते सभापति अपने विवेकानुसार संशोधन से उत्पन्न किसी भी विषय के स्पष्टीकरण के लिए अतिरिक्त समय के आवंटन को उचित समझे।

(v) अन्य मामलों में 'पत्रों संबंधी' प्रस्ताव को स्वीकार करने तथा उसपर चर्चा को, अधिशासित करने वाले नियम, सभापति द्वारा आवश्यक या सुविधाजनक माने जाने वाले संशोधनों के साथ लोक हित के मामलों पर प्रस्तावों संबंधी नियमों के समान होंगे।

तथापि, ऐसा एक भी अवसर नहीं था जब 'पत्रों संबंधी' प्रस्ताव को औपचारिक रूप से स्वीकार करके सभा में उस पर चर्चा की गई हो क्योंकि सभापति, पत्रों संबंधी प्रस्ताव को यथारूप में स्वीकार करने के बजाय किसी सदस्य को किसी औपचारिक प्रस्ताव के बिना लोक हित के विषय पर प्रस्ताव या मंत्री के वक्तव्य इत्यादि जैसे किसी अन्य रूप में चर्चा शुरू करने की अनुमति दे देते।

उपर्युक्त तथ्यों तथा इस तथ्य के आलोक में कि ध्यानाकर्षण और अल्पकालिक चर्चा जैसे साधनों ने स्पष्ट रूप से 'पत्रों संबंधी प्रस्ताव' जैसे साधनों की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है सभा ने, 24 दिसम्बर, 1981 को नियम समिति के दूसरे और तीसरे प्रतिवेदन पर विचार करते समय अन्य बातों के साथ नियम 175 तथा उसके उप-शीर्षों को ***हटा देने*** की सिफारिश की। तदनुसार, इस बात को प्रभावी करने हेतु 15 जनवरी, 1982 को अधिसूचना जारी की गई थी।

अध्याय – 14

स्थानों का त्यागा जाना और अनुपस्थिति की अनुमति

14.1 स्थानों को त्यागा जाना : 1979 से पहले राज्य सभा के स्थानों को त्यागे जाने के संबंध में नियम 213 निम्नलिखित रूप में था।

213(1) सभापति किसी सदस्य द्वारा राज्य सभा में अपने स्थान से त्यागपत्र देने की सूचना उसके हस्ताक्षर सहित लिखित में प्राप्त होने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य सभा को सूचित करेगा कि अमुक–अमुक सदस्य ने राज्य सभा में अपने स्थान से त्यागपत्र दे दिया हैः

बशर्ते कि जब राज्य सभा का सत्र न चल रहा हो तो सभापति राज्य सभा के पुनः समवेत होने के तुरन्त बाद सभा को सूचित करेगा कि अमुक–अमुक सदस्य ने सत्रांतराल अवधि के दौरान राज्य सभा में अपने स्थान से त्यागपत्र दे दिया है।

(2) सभापति द्वारा सभा से अपने स्थान से सदस्य के त्यागपत्र की सूचना प्राप्त करने के पश्चात् महासचिव यथाशीघ्र यह जानकारी राजपत्र में प्रकाशित करायेगा और अधिसूचना की एक प्रति निर्वाचन आयोग को इस प्रकार रिक्त हुए स्थान की पूर्ति हेतु कार्यवाही करने के लिए भेजेगा।

1979 में, राज्य सभा में स्थानों का त्याग करने से संबंधित नियम 213 को नए नियम से प्रतिस्थापित किया गया। इस संशोधन की सिफारिश 22 मई, 1979 को प्रस्तुत और 24 दिसंबर, 1981 को स्वीकृत समिति के दूसरे प्रतिवेदन के **द्वारा** की गई थी ताकि इसे संविधान (तैंतीसवां) संशोधन अधिनियम, 1974 के अंतर्गत संशोधित भारत के संविधान के अनुच्छेद 101(3) के उपबंधों के अनुरूप बनाया जा सके। पूर्व नियम के विपरीत, नए नियम में ऐसे उपबंध किए गए हैं कि ताकि सभापति अपनी संतुष्टि के लिए यह संक्षिप्त जांच स्वयं या राज्य सभा सचिवालय के किसी अभिकरण के माध्यम से कर सके कि, यदि किसी सदस्य का त्यागपत्र डाक द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से प्राप्त होता है, कि क्या सदस्य द्वारा दिया गया त्यागपत्र स्वैच्छिक और वास्तविक है। नियम 213 के उप-नियम (4) में इस आशय का भी उपबंध किया गया है कि कोई सदस्य अपना त्यागपत्र सभापति द्वारा स्वीकृत किया जाने से पूर्व किसी भी समय वापस ले सकता है। संशोधित नियम निम्नलिखित है :–

''213(1) राज्य सभा में अपने स्थान का त्याग करने का इच्छुक सदस्य सभा में अपने स्थान का त्याग करने के आशय की सूचना अपने हस्ताक्षर सहित लिखित रूप में सभापति को संबोधित करेगा।

(2) यदि कोई सदस्य सभापति को व्यक्तिगत रूप से अपना त्यागपत्र देता है और उसे सूचित करता है कि त्यागपत्र स्वैच्छिक और वास्तविक है और सभापति को इसके विपरीत कोई सूचना या ज्ञान नहीं है तो सभापति तुरन्त त्यागपत्र स्वीकार कर सकेगा।

(3) यदि सभापति को डाक द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से त्यागपत्र प्राप्त होता है तो सभापति अपनी संतुष्टि के लिए कि त्यागपत्र स्वैच्छिक और वास्तविक है ऐसी जांच कर सकेगा जैसीकि वह उचित समझे। यदि सभापति द्वारा स्वयं या राज्य सभा सचिवालय या अन्य किसी अभिकरण के माध्यम से जिसे वह उचित समझे संक्षिप्त जांच किए जाने के पश्चात, यह संतुष्टि हो जाती है कि त्यागपत्र स्वैच्छिक या वास्तविक नहीं है तो वह त्यागपत्र स्वीकार नहीं करेगा।

(4) सदस्य अपना त्यागपत्र सभापति द्वारा स्वीकृत किये जाने से पूर्व किसी भी समय वापस ले सकेगा।

(5) सभापति सदस्य के त्यागपत्र को स्वीकार करने के पश्चात, यथाशीघ्र सभा को सूचना देगा कि सदस्य ने सभा में अपना स्थान त्याग दिया है और उसने त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है।

स्पष्टीकरण– जब राज्य सभा सत्र में न हो तो सभापति राज्य सभा के पुनः समवेत होने के तुरन्त बाद सभा को इसकी सूचना देगा।

(6) सभापति द्वारा सदस्य के त्यागपत्र को स्वीकार किए जाने के पश्चात् महासचिव यथाशीघ्र यह जानकारी संसदीय समाचार और राजपत्र में प्रकाशित करायेगा और अधिसूचना की एक प्रति निर्वाचन आयोग को इस प्रकार रिक्त हुए स्थान की पूर्ति हेतु कार्यवाही करने के लिए भेजेगाः

परन्तु जहां त्यागपत्र भविष्य में किसी तारीख से लागू होना है यह सूचना जिस तारीख से त्यागपत्र लागू होना है उस तारीख से पूर्व संसदीय समाचार और राजपत्र में प्रकाशित नहीं की जाएगी।

14.2 अनुपस्थिति की अनुमति : समिति ने 20 अगस्त, 2001 को **अन्य बातों के साथ–साथ** सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति से संबंधित नियम 214(2) में संशोधन के सुझाव के संबंध में विचार किया। नियम 214(2) के शब्द इस प्रकार हैं– ''क्या राज्य सभा अमुक–अमुक सदस्य को अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा देना चाहती है..... जबकि परम्परानुसार सभापति द्वारा सभा में इस प्रकार की घोषणा की जाती है'' क्या उन्हें सभा की अनुज्ञा है। सुझाव यह था कि नियम 214(2) के शब्दों में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि इसे इस संबंध में सभा में प्रचलित परम्परा के अनुरूप बनाया जा सके। तथापि, समिति ने महसूस किया कि राज्य सभा की बैठकों में अनुपस्थित रहने की अनुमति के संबंध में प्रचलित परम्परा को ध्यान में रखते हुए संगत नियम में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

अध्याय – 15

प्रक्रिया के सामान्य नियम

15.1 सदस्यों के विरुद्ध आरोप : 1979 के पूर्व प्रक्रिया संबंधी नियमों में राज्य सभा या लोक सभा के किसी सदस्य के विरूद्ध आरोपों से संबंधित मामले उठाने के संबंध में कोई उपबंध नहीं था। समिति ने 22 मई, 1979 को सभा में प्रस्तुत अपने दूसरे प्रतिवेदन में इस प्रयोजन हेतु नए नियम 238क का प्रस्ताव किया जो निम्नानुसार हैः–.

> ''238क. कोई सदस्य किसी व्यक्ति के विरुद्ध मान-हानिकारक या अपराध में फंसाने वाले स्वरूप का कोई आरोप नहीं लगायेगा जब तक कि सदस्य ने सभापति और संबंधित मंत्री को भी इसकी पूर्व सूचना न दी हो ताकि मंत्री उत्तर दिए जाने के प्रयोजन के लिए इस विषय की जांच कर सके :
>
> परन्तु सभापति किसी समय किसी सदस्य को कोई ऐसा आरोप लगाने से मना कर सकेगा यदि उसकी राय में ऐसा आरोप राज्य सभा की गरिमा को घटाने वाला है या उस आरोप को लगाने से कोई लोकहित सिद्ध नहीं होता है।''

तथापि, सभा ने 24 दिसम्बर, 1981 को दूसरे प्रतिवेदन पर विचार करते हुए उपर्युक्त नियम को निम्नानुसार संशोधित रूप में स्वीकार किया :

> 238क. ***कोई सदस्य सभा के किसी अन्य सदस्य*** के विरुद्ध मान-हानिकारक या अपराध में फंसाने वाले स्वरूप का कोई आरोप नहीं लगायेगा जब तक कि सदस्य ने सभापति और संबंधित मंत्री को भी इसकी पूर्व सूचना न दी हो ताकि मंत्री उत्तर दिए जाने के प्रयोजन के लिए इस विषय की जांच कर सकेः
>
> परन्तु सभापति किसी समय किसी सदस्य को कोई ऐसा आरोप लगाने से मना कर सकेगा यदि उसकी राय में ऐसा आरोप राज्य सभा की गरिमा को घटाने वाला है या उस आरोप को लगाने से कोई लोकहित सिद्ध नहीं होता है।''

15.2 वैयक्तिक स्पष्टीकरण : नियमों में, प्रारंभ से ही सदस्य द्वारा वैयक्तिक, स्पष्टीकरण का उपबंध किया गया था (नियम 241 के अंतर्गत)। समिति ने 8 दिसम्बर, 2006 को

प्रस्तुत और 12 दिसम्बर, 2006 को स्वीकार किए गए अपने ग्यारहवें प्रतिवेदन में समुक्ति की थी कि सभापति द्वारा सदस्य के अतिरिक्त कभी–कभी मंत्रियों जो दूसरी सभा के सदस्य भी हैं, को भी राज्य सभा में वैयक्तिक स्पष्टीकरण की अनुमति दी जाती है। अतः समिति ने नियम 241 में संशोधन की सिफारिश की ताकि इसे स्थापित परिपाटी के अनुसार मंत्री के लिए लागू किया जा सके। तद्नुसार, इस नियम में संशोधन किया गया जो निम्नानुसार है :–

241. वैयक्तिक स्पष्टीकरण

कोई सदस्य **या मंत्री**, सभापति की अनुज्ञा से, वैयक्तिक स्पष्टीकरण कर सकेगा, यद्यपि राज्य सभा के समक्ष कोई प्रश्न न हो, किन्तु उस अवस्था में कोई वाद–विवाद योग्य विषय नहीं उठाया जाएगा ओर कोई वाद–विवाद नहीं होगा।

15.3 विभाजन : 1952 में नियमों के लागू होने के समय से ही किसी प्रश्न पर राज्य सभा का निर्णय प्राप्त करने हेतु ''विभाजन'' से संबंधित नियमों का राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन विषयक नियमों में प्रावधान किया गया था और ये नियम दिसम्बर, 2006 तक अपरिवर्तित रहे। समिति ने 8 दिसम्बर, 2006 को प्रस्तुत और 12 दिसम्बर, 2006 को स्वीकार किए गए अपने ग्यारहवें प्रतिवेदन में अन्य बातों के साथ–साथ विभाजन की घंटी को बजाने की अवधि जो दो मिनट थी जैसाकि नियम 252 के उप-नियम 4 के अन्तर्गत उपबंध किया गया था, को बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया। समिति द्वारा समुक्ति की गई कि संसद भवन परिसर के विभिन्न स्थानों पर लगी विभाजन की घंटियां बजायी जाती हैं ताकि सदस्यगण मत देने के प्रयोजन से संसद भवन परिसर के विभिन्न स्थानों से राज्य सभा चैम्बर में अविलम्ब आ सकें। समिति ने विभाजन में भाग लेने हेतु ***दो मिनटों*** के भीतर राज्य सभा चैम्बर पहुंचने में सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई कठिनाई को नोट किया। इसे ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा विभाजन की घंटियों को बजाने की अवधि दो मिनट से बढ़ाकर ***तीन मिनट और तीस सेकंड*** करने की आवश्यकता महसूस की गई। नियम 252 के उप–नियम (4) में तद्नुसार संशोधन किया गया। संशोधित नियम 12 दिसंबर, 2006 से प्रभावी हुआ।

15.4 नियमों का निलंबन : 16 मई, 1952 को नियमों को लागू करते समय राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन विषयक नियमों में किसी नियम के निलम्बन हेतु सदस्यों द्वारा प्रस्ताव रखे जाने का उपबंध निहित किया गया था। उस समय मौजूद नियम 267 निम्नानुसार था :–

267. कोई सदस्य, सभापति की सहमति से, यह प्रस्ताव कर सकेगा कि राज्य सभा के समक्ष किसी प्रस्ताव पर किसी नियम के लागू होने को

निलम्बित कर दिया जाए और यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो संबंधित नियम उस समय के लिए निलंबित कर दिया जाएगा।

समिति ने 12 मई, 2000 को प्रस्तुत और 15 मई, 2000 को स्वीकार किए गए अपने आठवें प्रतिवेदन में *अन्य बातों के साथ–साथ* नियमों के निलम्बन से संबंधित नियम के संशोधन के प्रश्न पर विचार किया। समिति ने समुक्ति की कि इस बात के होते हुए भी कि नियम 38 के अंतर्गत सभापति को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह प्रश्न पूछने और उसका उत्तर देने के लिए पहले घंटे को किसी और घंटे में परिवर्तित कर सकता है, विगत में नियम 267 का उपयोग किसी अन्य कार्य के बजाय अधिकांशतः प्रश्न-काल (नियम 38) को स्थगित करने के लिए किया गया है। समिति ने आगे यह भी समुक्ति की कि विगत अनुभव के अनुसार कई अवसरों पर नियम 267 के अंतर्गत सूचना ऐसे मामले पर विचार–विमर्श करने हेतु दी गई थी जो किसी विशेष दिन की कार्यसूची में नहीं था या जिस विषय को अभी तक स्वीकृति नहीं दी गई थी। अतः समिति ने यह सुनिश्चित करने हेतु नियम 267 में संशोधन करने का सुझाव दिया कि नियम 267 का निलंबन सभा के समक्ष उस दिन की कार्यावलि से संबंधित है। समिति ने प्रस्ताव किया कि अब से पूर्व मौजूद नियम 267 को निम्नानुसार ***प्रतिस्थापित*** किया जाए :–

> ''कोई सदस्य, सभापति की सहमति से, यह प्रस्ताव कर सकेगा कि ***उस दिन राज्य सभा के समक्ष सूचीबद्ध कार्य से संबंधित*** किसी प्रस्ताव पर किसी नियम का लागू होना निलम्बित कर दिया जाए और यदि वह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो संबंधित नियम उस समय के लिए निलम्बित कर दिया जाएगा :
>
> ***परन्तु यह और कि यह नियम उस मामले में लागू नहीं होगा जहां नियमों के किसी विशेष अध्याय के अधीन किसी नियम के निलम्बन के लिए पहले ही कोई विशिष्ट उपबंध किया गया हो।''***

नियम 267 में तदनुसार संशोधन किया गया और इसे 1 जुलाई, 2000 से प्रभावी किया गया।

15.5 राज्य सभा का सत्रावसान होने पर लम्बित सूचनाओं का व्यपगत होना : सभा के सत्रावसान के कारण किसी सत्र में विचार–विमर्शाधीन संकल्पों, प्रस्तावों और संशोधनों को व्यपगत होने से बचाने के लिए समिति ने 2 दिसम्बर, 1981 को सभा में प्रस्तुत अपने तीसरे प्रतिवेदन में नये नियम 225क को अंतःस्थापित करने की सिफारिश की जो निम्नानुसार हैः–

225क. (नया नियम)

उपस्थित किया गया प्रस्ताव, संकल्प या संशोधन व्यपगत नहीं होगा : राज्य सभा में उपस्थित किया गया या लम्बित कोई प्रस्ताव, संकल्प या संशोधन केवल राज्य सभा के सत्रावसान के कारण व्यपगत नहीं होगा।

तथापि, 24 दिसम्बर, 1981 को समिति के तीसरे प्रतिवेदन पर विचार करते हुए सभा नये नियम 225क के अन्तःस्थापन, जैसाकि समिति द्वारा सिफारिश की गई थी, से सहमत **नही थी**।

अध्याय – 16

नियमों के संशोधन से असंबद्ध सिफारिशें/समुक्तियां

अनियत दिन वाले प्रस्ताव

सभा में कम से कम एक स्वीकृत अनियत दिन वाले प्रस्ताव पर प्रत्येक सप्ताह चर्चा होनी चाहिए और कार्य मंत्रणा समिति को इस उद्देश्य के लिए समय आवंटित करना चाहिए।

[2 दिसंबर, 1981 को प्रस्तुत तीसरा प्रतिवेदन, दिनांक 7 फरवरी, 1984 का कार्यवृत्त]

कार्य–विन्यास

सभा के मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होने से पूर्व ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, विशेष उल्लेख इत्यादि जैसे सभी विविध कार्य पूरे कर लिए जाने चाहिए।

[2 दिसम्बर, 1981 को प्रस्तुत तीसरा प्रतिवेदन]

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

(i) ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दिए जाने वाले सदस्यों की संख्या पांच से अधिक नहीं होनी चाहिए। नामों का निर्धारण सूचना देने वाले सभी सदस्यों के नामों से लॉटरी निकालकर किया जाएगा। केवल उन्हीं सदस्यों को स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दी जानी चाहिए जिनका नाम कार्यावलि में हो।

(ii) ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने वाले सदस्य को सात मिनट से अधिक और अन्य सदस्यों में से प्रत्येक को पांच मिनट से अधिक का समय नहीं लेना चाहिए।

[दिनांक 07.12.1982 की बैठक का कार्यवृत्त]

(iii) केवल स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दी जानी चाहिए और ध्यानाकर्षण के संबंध में एक घंटे की समय–सीमा का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

[22.07.2004 को प्रस्तुत 9वां प्रतिवेदन]

गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयक

राज्य सभा नियमों के नियम 33 के अनुसरण में प्रत्येक गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयक पर विचार करने के लिए कार्य मंत्रणा समिति द्वारा विशिष्ट समय आवंटित

किया जाना चाहिए। समिति ने महसूस किया कि यदि सभी मामलों में नियमित रूप से ऐसा किया जाता है तो सभा में विचार किए जाने हेतु और ज्यादा गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयक आएंगे।

[दिनांक 27.01.1983 का कार्यवृत्त]

आधे घण्टे की चर्चा

एक सप्ताह के भीतर केवल तीन आधे घण्टे की चर्चाओं की स्वीकृति दी जानी चाहिए तथापि, यह इसके लिए सदस्यों से प्राप्त हुई सूचनाओं और उनकी स्वीकार्यता की अन्य शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन होगा। अधिकतम चार सदस्यों (चर्चा शुरू करने वाले सदस्य के अतिरिक्त) जिन्होंने बैठक जिसमें यह चर्चा होनी थी के प्रारंभ होने से पूर्व महासचिव को लिखित रूप में सूचित किया हो, को प्रश्न पूछने की अनुमति दी जानी चाहिए और यदि ऐसा अनुरोध करने वाले सदस्यों की संख्या चार से अधिक है, तो नाम देने के लिए तय समय समाप्त होने के पश्चात् बैलट कराया जाना चाहिए।

[दिनांक 07.02.1984 का कार्यवृत्त]

विशेष उल्लेख/शून्य काल के उल्लेख

(i) सरकारी आश्वासनों के मामले की तर्ज पर संसदीय कार्य मंत्री को, प्रत्येक सत्र के दौरान सभा में सदस्यों द्वारा दिए गए विशेष उल्लेखों के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को दर्शाते हुए एक विवरण सभा-पटल पर रखना चाहिए।

[दिनांक 29.05.1984 का कार्यवृत्त]

(ii) कोई सदस्य एक सप्ताह के दौरान केवल एक विशेष–उल्लेख/शून्य काल का उल्लेख कर सकता है।

[दिनांक 14.02.1995 का कार्यवृत्त]

(iii) सामान्यतया शून्य काल के दौरान किए जाने वाले उल्लेखों की कुल संख्या प्रतिदिन सात से अधिक और किसी भी स्थिति में दस से अधिक नहीं होनी चाहिए, और किसी सदस्य को उल्लेख करने हेतु तीन मिनट से अधिक का समय नहीं लेना चाहिए।

[दिनांक 14.02.1995 का कार्यवृत्त]

(iv) शून्य काल के उल्लेख म.प. 12.30 बजे तक और विशेष उल्लेख म.प. 1.00 बजे तक पूरे कर लिए जाने चाहिए। मध्याह्न भोजन के पश्चात् पुनः सभा की बैठक प्रारंभ होने के बाद केवल कार्यावलि पर विचार किया जाना चाहिए।

[14.02.1995 को प्रस्तुत 7वां प्रतिवेदन]

(v) शून्य काल के उल्लेख और विशेष उल्लेख में से प्रत्येक आधे घंटे से अधिक का नहीं होना चाहिए।

[दिनांक 14.02.1995 का कार्यवृत्त]

(vi) विशेष उल्लेखों पर म.प. 12.30 बजे चर्चा की जानी चाहिए या यदि प्रश्न काल के पश्चात् किये जाने वाले उल्लेख म.प. 12.30 बजे से पूर्व समाप्त हो गये हों, तो ऐसी स्थिति में उससे पूर्व चर्चा की जानी चाहिए परन्तु इसे सभा के मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होने से पूर्व पूरा कर लिया जाना चाहिए।

[दिनांक 18.02.1992 का कार्यवृत्त]

(vii) समिति एक सदस्य के इस सुझाव से सहमत नहीं हुई कि विशेष उल्लेखों पर शाम को चर्चा की जानी चाहिए बल्कि उसने यह महसूस किया कि वर्तमान प्रक्रिया अच्छी तरह से कार्य कर रही है और इसे जारी रखना चाहिए।

[दिनांक 23.08.1989 का कार्यवृत्त]

§फैक्स द्वारा प्राप्त सूचनायें

फैक्स द्वारा प्राप्त सूचनाओं/पत्रों को प्रमाणिक सूचनाऐं/पत्र माना जाएगा बशर्ते कि वे हस्ताक्षरित हों और बाद में इनकी लिखित सूचना भी दी जाए।

[दिनांक 14.02.1995 को प्रस्तुत 7वां प्रतिवेदन]

महिला सशक्तिकरण संबंधी संयुक्त संसदीय समिति

समिति ने महिला सशक्तिकरण के संबंध में संयुक्त संसदीय समिति के गठन के संबंध में लोक सभा की नियम समिति के प्रस्ताव पर विचार किया और इस पर अपनी सहमति व्यक्त की।

[दिनांक 25.02.1997 का कार्यवृत्त]

किसी विशेष आश्वासन/वचन को पूरा करने के संबंध में समिति और केन्द्र सरकार के बीच असहमति

इस मुद्दे का हल निकालने के लिए नियमों में विशिष्ट उपबंध करने से संबंधित सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के सुझाव पर समिति की यह राय थी कि ऐसे मामलों में, संबंधित समिति इस विषय की सूचना सभा को दे सकती है और तत्पश्चात इस प्रश्न को सभा के विवेक पर छोड़ देना चाहिए।

[दिनांक 23.08.1989 का कार्यवृत्त]

§ **सभा ने 30 मई, 1995 को 7वें प्रतिवेदन पर विचार करते समय इस सिफारिश को अनुमोदित नहीं किया।**

परिशिष्ट

परिशिष्ट–।

संविधान के अनुच्छेद 118 के खण्ड (2) के तहत राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन विषयक नियमों में आशोधनों/संशोधनों का सुझाव देने के लिए राज्य सभा के सभापति द्वारा गठित समिति

(22 मई, 1952 को गठित)

1.	श्री अलादी कृष्णस्वामी	–	अध्यक्ष
2.	श्री लाल बहादुर शास्त्री		
3.	श्री एस.वी. कृष्णामूर्ति राव		
4.	सैयद नौशेर अली		
5.	श्री ब्रज किशोर प्रसाद सिन्हा		
6.	बेगम ऐजाज़ रसूल		
7.	श्रीमती लक्ष्मी एन. मेनन		
8.	श्री के.एस. हेगड़े		
9.	श्री अमोलख चन्द		
10.	श्री पी. सुन्दरय्या		
11.	श्री. सी.जी.के. रेड्डी		
12.	पंडित एच.एन. कुंजरू		
13.	प्रो. एन.जी. रंगा		
14.	श्री पी. वेंकटनारायण		

परिशिष्ट -II

संविधान के अनुच्छेद 118 के खंड (1) के तहत प्रक्रिया के प्रारूप नियमों की सिफारिश करने के लिए गठित समिति

(7 सितंबर, 1962 को गठित)

1.	श्रीमती वॉयलेट आल्वा	–	अध्यक्ष
2.	श्री एम.पी. भार्गव		
3.	श्री विमलकुमार एन. चोरडिया		
4.	श्री आर. एस. डूगर		
5.	श्री भूपेश गुप्ता		
6.	श्री दहियाभाई वी. पटेल		
7.	श्री एस.डी. पाटिल		
8.	श्री जे. सिवाषणमुगम पिल्लै		
9.	श्री एम. गोविन्दा रेड्डी		
10.	श्री पी.एन. सप्रू		
11.	श्री बी.के.पी. सिन्हा		
12.	श्री रोहित एम. दवे		
13.	श्री नीरेन घोष		
14.	श्री सुधीर घोष		
15.	श्री नेमि चन्द्र कासलीवाल		
16.	श्री नफ़ीसुल हसन		
17.	श्री महेश सरन		
18.	डा. श्रीमती सीता परमानंद		
19.	श्री एन.एम. लिंगम		
20.	श्री एन. श्रीराम रेड्डी		

संदर्भ

1. भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड I, दिनांक 16 मई, 1952 के अन्तर्गत प्रकाशित राज्य सभा अधिसूचना सं. 11–सीएस/52
2. नियम पुस्तिका, राज्य सभा, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली, 1956
3. राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन विषयक नियम, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, जुलाई, 1964
4. –वही–, दूसरा संस्करण, जुलाई, 1972
5. –वही–, तीसरा संस्करण, फरवरी, 1982
6. –वही–, चौथा संस्करण, मई, 1991
7. –वही–, पांचवा संस्करण, जुलाई, 2000
8. –वही– , छठा संस्करण, मार्च, 2005
9. राज्य सभा की नियम समिति के प्रतिवेदन (पहले से 12वां)
10. **कार्यरत राज्य सभा :** राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली, दूसरा संस्करण, 2006 I